



राजस्थान सरकार

सांचोर मास्टर प्लान (2009–2031)

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 के अन्तर्गत तैयार किया गया

आवास विकास लिमिटेड

जयपुर राजस्थान

इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स,
आर.आर.सी

जयपुर राजस्थान

वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर जोन, जोधपुर
नगरीय विकास विभाग, राजस्थान जयपुर

आभार

सांचोर, के सुनियोजित विकास को गति प्रदान करने के क्रम में सांचोर के विशिष्ट जन प्रतिनिधियों, प्रबुद्ध व गणमान्य नागरिकों तथा नगरीय विकास को क्रियान्वित करने में सहयोग देने वाले सभी व्यक्तियों एवं संस्थाओं को अपना अमूल्य समय इस ऐतिहासिक, शैक्षणिक एवं प्रगतिशील नगर के सुनियोजित विकास कार्यों में प्रदान किया है।

सम्भागीय आयुक्त जोधपुर, जिला कलक्टर जालोर एवं नगर पालिका सांचोर, का विशेष रूप से आभारी हूँ, जिन्होंने मास्टर प्लान को तैयार करने में समय-समय पर निरन्तर सहयोग प्रदान किया है। इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स, आर.आर.सी जयपुर द्वारा मास्टर प्लान तैयार करने में मुख्य भूमिका रही है, उनका भी मैं आभारी हूँ।

मास्टर प्लान को तैयार करने में विभिन्न स्तरों पर हुए सर्वेक्षण तथा अन्य सूचनाओं को एकत्रित करना आवश्यक होता है। इस विशेष कार्य में विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालयों यथा सार्वजनिक निर्माण, विद्युत वितरण निगम, उद्योग, चिकित्सालय, जल-प्रदाय, शिक्षा, वन, कृषि उपज मण्डी इत्यादि विभागों तथा अन्य निजी संस्थाओं ने सतत् सहयोग प्रदान किया है। मैं उन सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ एवं आशा है कि भविष्य में भी इस नगर के मास्टर प्लान प्रस्तावों के अनुरूप सुनियोजित ढंग से विकसित करने में अपना सहयोग देते रहेंगे।

उक्त सभी अधिकारी एवं कर्मचारी धन्यवाद के पात्र हैं।



(चन्द्रशेखर पारासर)

वरिष्ठ नगर नियोजक,

जोधपुर जोन, जोधपुर

योजना-दल

कार्यालय वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर जोन, जोधपुर

1. श्री चन्द्रशेखर पारासर : वरिष्ठ नगर नियोजक
2. श्री आर. एल. टुकलिया : वरिष्ठ नगर नियोजक
3. श्री रोशन सिंह चौहान : उप नगर नियोजक
4. श्री रामचन्द्र भाटी : अनुसंधान सहायक ग्रेड II
5. श्री टी. आर. बामणिया : सहायक अभियन्ता
6. श्री एम. एल. अवस्थी : अन्वेषक ग्रेड द्वितीय
7. श्री तेजाराम सांखला : कनिष्ठ अभियन्ता
8. श्री दिनेश प्रकाश आसोपा : नगर नियोजक सहायक
9. श्री भगवान लाल : वरिष्ठ प्रारूपकार
10. श्री सुगनचन्द जांदू : कनिष्ठ प्रारूपकार
11. श्री प्रदीप शर्मा : अनुरेखक
12. श्री नरसिंह राम : अनुरेखक
13. श्री रामोतार शर्मा : फेरोमेन
14. श्री अरुण माथुर : निजी सहायक
15. श्री प्रमोद गोपाल : वरिष्ठ लिपिक
16. श्री राजेन्द्र गांधी : कनिष्ठ लिपिक

विषय—सूची

अध्याय	विषय वस्तु	पृष्ठ संख्या
	आभार	i
	योजना दल	ii
	विषय सूची	iii
	तालिका सूची	viii
1.	परिचय	1
2.	विद्यमान विशेषताएँ	4
2.1	भौतिक स्वरूप और जलवायु	4
2.2	क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य	4
2.3	ऐतिहासिक	5
2.4	जनसांख्यिकीय रूपरेखा	6
2.5	व्यावसायिक संरचना	6
2.6	विद्यमान भू-उपयोग	8
2.6 (1)	आवासीय	9
2.6 (1) (अ)	आवासन	10
2.6 (1) (ब)	कच्ची बस्तियां	10
2.6 (2)	वाणिज्यिक	11
2.6 (3)	औद्योगिक	11
2.6 (4)	राजकीय	12
2.6 (4) अ—	सरकारी एवम् अर्द्ध सरकारी कार्यालय	12
2.6 (4) ब—	राजकीय आरक्षित	13
2.6 (5)	आमोद—प्रमोद	13
2.6 (5) अ—	उद्यान एवं खुले स्थल	14

2.6 (5) ब-	स्टेडियम एवं खेल मैदान	14
2.6 (5) स-	मेले एवं पर्यटन सुविधाएँ	14
2.6 (5) द-	अर्द्ध सार्वजनिक मनोरंजन	14
2.6 (6)	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक सुविधाएँ	15
2.6 (6) अ-	शैक्षणिक	15
2.6 (6) ब-	चिकित्सा	16
2.6 (6) स-	सामाजिक / सांस्कृतिक / धार्मिक / ऐतिहासिक एवं धरोहर स्थल	16
2.6 (6) द-	अन्य सामुदायिक सुविधाएँ	17
2.6 (6) य-	जनोपयोगी सुविधाएँ	17
2.6 (6) य(i)-	जलापूर्ति	17
2.6 (6) य(ii)-	मल-जल निकास एवं ठोस कचरा निस्तारण प्रबन्धन	18
2.6 (6) य(iii)-	विद्युत आपूर्ति	18
2.6 (6) र-	श्मशान एवं कब्रिस्तान	19
2.6(7) परिसंचरण		19
2.6 (7) अ-	यातायात व्यवस्था	20
2.6 (7) ब-	बस तथा ट्रक टर्मिनल	20
2.6(7) स-	रेल एवं हवाई सेवा	20
3. नियोजन की संकल्पना		21
3.1	नियोजन की नीतियाँ	22
3.2	नियोजन के सिद्धान्त	23
4. भावी आकार		25
4.1	जनसांख्यिकीय	25
4.2	व्यावसायिक संरचना	26
4.3	नगरीय क्षेत्र	27
4.4	नगरीयकरण योग्य क्षेत्र	28
4.5	योजना क्षेत्र	28

4.5 (अ)	उत्तरी योजना क्षेत्र	30
4.5 (ब)	मध्य योजना क्षेत्र	30
4.5 (स)	दक्षिण योजना क्षेत्र	30
4.5 (द)	परिधि नियंत्रण पट्टी	31
5.	भू-उपयोग योजना	32
5.1	आवासीय	34
5.1 (1)	आवासन	34
5.1 (2)	नगरीय नवीनीकरण	35
5.1 (3)	इनफोरमल सेक्टर आवासन/कच्ची बस्तियाँ	36
5.2	वाणिज्यिक	36
5.2 (1)	खुदरा/फुटकर व्यापार एवं सुविधाजनक दुकानें	37
5.2 (2)	वाणिज्यिक केन्द्र	38
5.2 (3)	विशिष्टीकृत एवं थोक बाजार	38
5.2 (4)	भण्डारण एवं गोदाम	38
5.3	औद्योगिक	39
5.4	राजकीय	39
5.4 (1)	सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी कार्यालय	39
5.4 (2)	राजकीय आरक्षित	40
5.4	आमोद-प्रमोद	40
5.5 (1)	उद्यान एवं खुले स्थल	40
5.5 (2)	स्टेडियम एवं खेल मैदान	41
5.5 (3)	अर्द्ध सार्वजनिक मनोरंजन	41
5.5 (4)	मेला स्थल एवं पर्यटन सुविधाएँ	41
5.5	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक	41
5.6 (1)	शैक्षणिक	42
5.6 (2)	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	43
5.6 (3)	सामाजिक/सांस्कृतिक/धार्मिक/ऐतिहासिक एवं धरोहर स्थल	43
5.6 (4)	अन्य सामुदायिक सुविधाएँ	44

5.6 (5)	जनापयोगी सुविधाएँ	44
5.6 (6) अ.	जलापूर्ति	44
5.6 (6) ब.	विद्युत आपूर्ति	45
5.6 (6) स.	मल-जल निस्तारण एवं ठोस कचरा प्रबन्धन	45
5.6 (6) द.	श्मसान एवं कब्रिस्तान	45
5.7	परिसंचरण	46
5.7 (1)	प्रस्तावित यातायात संरचना	46
5.7 (1) अ.	आन्तरिक सड़के व मार्गाधिकार	47
5.7 (1) ब.	सड़कों का चौड़ा करना एवं उनका सुधार	49
5.7 (1) स.	चौराहों का विकास	50
5.7 (1) द.	पार्किंग व्यवस्था	50
5.7 (2)	बस स्टेण्ड एवं यातायात नगर	51
5.7 (3)	रेल एवं हवाई सेवा	51
5.8	परिधि नियंत्रण पट्टी	52
5.8 (1)	ग्रामीण आबादी क्षेत्र	52
5.8 (2)	पर्यावरण संरक्षण एवं वृक्षारोपण	53
6	योजना का कार्यान्वयन	54
6.1	वर्तमान आधार	54
6.2	प्रस्तावित आधार	54
6.3	जनसहभागिता एवं जन सहयोग	55
6.4	भू-उपयोग अंकन एवं भूमि अवाप्ति	56
6.5	उपसंहार	56
परिशिष्ट		
1(अ)	राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 के उद्घरण	58
2	राजस्थान नगर सुधार न्यास (सामान्य) 1962 के उद्घरण	61
3	जॉनिंग रेग्यूलेशन	63
4	नगरीय क्षेत्र अधिसूचना क्रमांक प.10(211)नविवि/3/09 दिनांक 13.1.2010	71

5	राजकीय अधिसूचना धारा 5(1), क्रमांक जेडीजेड / 1120 / सांचोर / एमपी दिनांक 23 जून 2010	72
6	राजकीय अधिसूचना धारा 7(1), क्रमांक प.10(211) नविवि / 3 / 2009 जयपुर, दिनांक, 27 फरवरी, 2012	73

तालिका सूची

क्रं.सं.	विषय वस्तु	पृष्ठ संख्या
1.	जनसंख्या वृद्धि प्रवृत्ति—सांचोर — 1961—2001	6
2.	व्यावसायिक संरचना—सांचोर — 1991 — 2001	7
3.	विद्यमान भू—उपयोग — सांचोर— 2009	9
4.	औद्योगिक संरचना — सांचोर — 2009	12
5.	सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी कार्यालय —सांचोर — 2009	13
6.	शैक्षणिक संरचना—सांचोर—2009	15
7.	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ — सांचोर—2009	16
8.	जल सम्बन्धों के प्रकार एवं संख्या—सांचोर — 2009	18
9.	विद्युत सम्बन्धों के प्रकार एवं संख्या—सांचोर —2009	19
10.	जनसंख्या वृद्धि एवं अनुमान—सांचोर—2001—2031	25
11.	व्यावसायिक संरचना—सांचोर—2031	27
12.	योजना क्षेत्र, सांचोर—2031	29
13.	प्रस्तावित भू—उपयोग—सांचोर —2031	33
14.	प्रस्तावित वाणिज्यिक क्षेत्रों का विवरण—सांचोर —2031	37
15.	शैक्षणिक संरचना—सांचोर—2031	43
16.	मार्गों की प्रस्तावित मानक चौड़ाई—सांचोर —2031	48
17.	सड़कों का प्रस्तावित मार्गाधिकार—सांचोर —2031	48

1
परिचय

1.0 परिचय

सांचोर, जालोर जिले का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक एवं वाणिज्यिक कस्बा है। जो राज्य के दक्षिण – पश्चिम में गुजरात राज्य की सीमा पर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 पर स्थित है। यह उपखण्ड मुख्यालय के रूप में कार्यरत है। सांचोर को गुजरात और राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है। यह जिला मुख्यालय जालोर से 154 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। इस कस्बे को “डी” श्रेणी की नगरपालिका के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उक्त नगर में केन्द्र, राज्य एवं अर्द्ध राज्य सरकार के कई महत्वपूर्ण कार्यालय स्थापित हैं। यह कस्बा अहमदाबाद, बाड़मेर, सिरोही, भीनमाल, जालोर एवं अन्य नगरों से सड़क मार्ग से भली-भाँति जुड़ा हुआ है, तथा यहाँ नजदीकी रेलवे स्टेशन रानीवाड़ा है, जो लगभग 47 कि.मी. की दूरी पर स्थित है।

राज्य की बहुप्रतिक्षित नर्मदा परियोजना के आगमन से यह नगर एक महत्वपूर्ण सेवा केन्द्र के रूप में विकसित हो रहा है। इससे यहाँ और नई योजनाएँ आने की सम्भावनाएँ व्यक्त की जा रही हैं। सांचोर कस्बा जीरा एवं दुग्ध उत्पादन में अग्रणी है, जिसका यहाँ के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। यह कस्बा आस-पास की जनसंख्या के लिए क्रय-विक्रय का प्रमुख केन्द्र है। वर्तमान में यह एक प्रशासनिक केन्द्र के साथ-साथ कृषि सेवा केन्द्र के रूप में कार्यरत है।

रीको द्वारा औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना से यहाँ उद्योग क्षेत्र में भी विकास हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 पर स्थित रीको क्षेत्र में कई औद्योगिक ईकाइयाँ कार्यरत हैं। इससे आस-पास के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को भी रोजगार प्राप्त हुआ है। औद्योगिक विकास के साथ-साथ कस्बे में व्यापार एवं वाणिज्यिक गतिविधियों का काफी विस्तार हुआ है।

सांचोर की जनसंख्या वर्ष 1961 में 5538 थी, जो वर्ष 2001 में बढ़कर 25884 हो गयी । सर्वाधिक वृद्धि दर वर्ष 1971 – 81 के दशक में 70.73 प्रतिशत दर्ज की गयी तथा वर्ष 1991 से 2001 के विगत दशक में वृद्धि दर 37.48 प्रतिशत रही है ।

विगत वर्षों में शहर के विकास एवं विस्तार के साथ-साथ यहाँ विभिन्न प्रकार की नगरीय समस्याएँ उत्पन्न हो गयी है । पुरानी आबादी क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व बढ़ रहा है तथा शहर का अनियोजित, अव्यवस्थित विस्तार हो रहा है। रिहायशी मकानों की कमी है तथा बेघर परिवारों की संख्या बढ़ रही है। इसके अतिरिक्त पार्क एवं खुले स्थलों का अभाव, पर्यावरण प्रदूषण, कुड़ा-करकट विसर्जन की समस्या, सिवरेज लाईन का अभाव, तंग सड़कों पर बढ़ता हुआ यातायात दबाव, आधारभूत सुविधाओं की कमी, मल-जल निकास की समस्या, पार्किंग समस्या, अतिक्रमण, अनाधिकृत विकास आदि यहाँ की ज्वलन्त समस्याएँ हैं। इन समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक है कि नगर की उत्तरोत्तर बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं के अनुरूप समुचित आधारभूत एवं अन्य नगरीय सुविधाएँ प्रदान की जावें। वस्तुतः कस्बे के भावी विकास को दिशा-निर्देश देने हेतु एक दीर्घकालीन योजना बनाने की आवश्यकता है। अतः कस्बे के सुनियोजित एवं सन्तुलित विकास के लक्ष्य निर्धारण को ध्यान में रखते हुए सांचोर कस्बे का मास्टर प्लान तैयार किया जाना आवश्यक है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं वर्तमान में कस्बे के विस्तार एवं विकास प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए सांचोर के सुनियोजित विकास हेतु, राज्य सरकार ने राजस्थान नगर सुधार अधिनियम की धारा 3 (1) के तहत दिनांक 13 जनवरी, 2010 को एक अधिसूचना जारी कर सांचोर सहित 15 राजस्व ग्रामों को सम्मिलित करते हुए इसका नगरीय क्षेत्र अधिसूचित कर वरिष्ठ नगर नियोजक जोधपुर जोन, जोधपुर को इसका मास्टर प्लान तैयार करने के लिए अधिकृत किया गया । इस अधिसूचना की अनुपालना में नगर नियोजन विभाग द्वारा प्राईवेट कन्सलटेंट के माध्यम से सांचोर कस्बे का भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर यह प्रारूप मास्टर

प्लान तैयार किया गया है । इस योजना का आधार वर्ष 2009 एवं क्षितिज वर्ष 2031 रखा गया है । प्रस्तुत मास्टर प्लान रिपोर्ट के साथ में नगर मानचित्र, विद्यमान भू-उपयोग मानचित्र – 2009, प्रस्तावित भू-उपयोग मानचित्र-2031 तथा अधिसूचित नगरीय क्षेत्र की सीमाओं को दर्शाने वाला नगरीय क्षेत्र मानचित्र आदि संलग्न है । राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 की धारा 5 के प्रावधानों के अन्तर्गत आम जनता के समक्ष 30 दिन की अवधि में आपत्तियों एवं सुझाव प्रस्तुत करने हेतु यह मास्टर प्लान का प्रारूप प्रकाशित कर प्रारूप मास्टर प्लान के सम्बन्ध में प्राप्त हुई प्रत्येक आपत्ति एवं सुझाव का विस्तृत अध्ययन एवं विश्लेषण किया जाकर समुचित सुझाव एवं आपत्तियों को यथा सम्भव समाहित कर, मास्टर प्लान को अन्तिम रूप देने के लिए राज्य सरकार को अनुमोदनार्थ प्रेषित किया जा रहा है।



(चन्द्रशेखर पारासर)

वरिष्ठ नगर नियोजक,
जोधपुर जोन, जोधपुर

यह मास्टर प्लान राज्य सरकार द्वारा राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 की धारा 6 की उपधारा (3) के अन्तर्गत अनुमोदित कर उक्त अधिनियम की धारा 7 के अनुसरण में अधिसूचना क्रमांक प.10(211)नवि/3/2009 जयपुर, दिनांक 27 फरवरी 2012 के द्वारा अधिसूचित कर दिया गया है। (परिशिष्ट 6)

2

विद्यमान विशेषताएँ

2.0 विद्यमान विशेषताएँ

2.1 भौतिक स्वरूप और जलवायु

सांचोर, राजस्थान के दक्षिण-पश्चिम में 24° 45' उत्तरी अक्षांश एवं 71° 45' पूर्वी देशान्तर पर, माध्य समुद्रतल से 320 मीटर की ऊँचाई पर स्थित है। यह कस्बा राज्य की राजधानी जयपुर से 485 कि.मी. एवं जिला मुख्यालय जालोर से 154 कि.मी. की दूरी पर है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 इस कस्बे से गुजरता है। रानीवाड़ा नजदीकी रेलवे स्टेशन है, जो लगभग 47 कि.मी. की दूरी पर स्थित है।

इस कस्बे की जलवायु शुष्क एवं गर्म है। यहाँ के मौसमीय तापमान में असमानता रहती है। ग्रीष्म काल में तापमान अत्यधिक गर्म तथा शीतकाल में अत्यधिक ठण्डा रहता है। जून सर्वाधिक गर्म एवं जनवरी अत्यधिक ठण्डा माह होता है। यहाँ का औसत अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। यहाँ वर्षा का वार्षिक औसत लगभग 40 सेन्टीमीटर है। यहाँ वर्षा दक्षिण-पश्चिमी मानसून 'वनर्जी'मेज डवदेववदद्ध के आगमन से होती है। वर्षा ऋतु में तापमान में गिरावट आ जाती है। इस ऋतु में हवा में नमी अधिक रहने से सापेक्षिक आद्रता 40 से 80 प्रतिशत तक रहती है। ग्रीष्म ऋतु में प्रचलित हवाओं की दिशा 'त्तमअंपसपदह'पदक क्पतमबजपवदद्ध दक्षिण-पश्चिम से उत्तर-पूर्व की ओर तथा शरद ऋतु में उत्तर-पूर्व से दक्षिण-पश्चिम की ओर रहती है।

2.2 क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य

सांचोर, जालोर जिले का एक महत्वपूर्ण कस्बा है। इसके आस-पास के ग्रामीण क्षेत्रों की वाणिज्यिक गतिविधियों का यह एक महत्वपूर्ण केन्द्र है। यह कस्बा जालोर जिले के दक्षिणी - पश्चिमी छोर का अन्तिम एवं गुजरात सीमा से सटा हुआ है। यहाँ पाये जाने वाले खनिज पदार्थों में जिप्सम प्रमुख है। इसके अतिरिक्त यहाँ पी०ओ०पी० का उत्पादन भी होता है। एस० एस० पाईप, गम इत्यादि की औद्योगिक इकाईयाँ यहाँ स्थापित है।

इस क्षेत्र के लोग पशुपालन एवं कृषि व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। यह कस्बा दुग्ध उत्पादन का प्रमुख केन्द्र है। यह क्षेत्र गुजरात राज्य की सीमा से लगा होने के कारण यहाँ के लोगों की भाषा में गुजराती भाषा का समावेश पाया जाता है। सांचोर, जालोर जिले का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक, वाणिज्यिक एवं प्रशासनिक केन्द्र है।

2.3 ऐतिहासिक

सांचोर कस्बा पूर्व में सत्यपुरा, सच्चऊर एवं सांचोरा के नाम से जाना जाता था। मुस्लिम शासन काल में यह मेहमुदाबाद के नाम से जाना जाता था। संवत् 1185 (ए0डी0) की अवधि में यह गुजरात के सोलंकियों के अधीन आ गया। जो लगभग 12वीं सदी तक रहा, तत्पश्चात् यह उदेसिम्हा के अधीन रहा जिसने सम्पूर्ण जालोर क्षेत्र पर 1205 ए0डी0 से 1257 ए0डी0 तक शासन किया। 1288 ए0डी0 में यह जालोर के शासक सामन्त सिम्हा, चौहान शासक के अधीन रहा।

1310 ए0डी0 में अलाउद्दीन की सेनाओं ने सांचोर पर कब्जा किया तथा यहाँ स्थित महावीर के भव्य मन्दिर को क्षतिग्रस्त कर दिया। बाद में जालोर के पठानों ने इस पर शासन किया। 1698 ए. डी. में महाराज अजीत सिंह ने इसे पुनः प्राप्त कर शासन किया, तत्पश्चात् यह जोधपुर रियासत का भाग रहा। सन् 1997 में देश की स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् सन् 1949 में जोधपुर रियासत को वृहत राजस्थान में विलीन कर दिया गया। यह कस्बा वर्तमान में जालोर जिले का उपखण्ड मुख्यालय है। सांचोर जैन एवं शैवों का प्रमुख केन्द्र रहा है। यह ब्राह्मणों (सांचोरा ब्राह्मण) का गढ़ रहा है। आज यह नगर उपखण्ड मुख्यालय है। यहां की गायों की काकरेज नस्ल भारत में विख्यात है। कस्बे के पुराने मौहल्ले दरबार चौक, पिपली चौक, चौपनिया बास व जेरड़िया बास आदि हैं। यहाँ स्थित वाघेश्वर शिव मंदिर अत्यन्त प्राचीन तथा सुविख्यात है।

कस्बे में रीको औद्योगिक क्षेत्र का विकास सन् 1980 में होना प्रारम्भ हुआ, वर्तमान में इस औद्योगिक क्षेत्र में कई उद्योग संचालित हैं। वर्तमान स्वरूप में कस्बे का अधिकांश विकास आजादी के बाद हुआ। कस्बे की नई बस्तियाँ यथा इन्द्रा

कॉलोनी, गायत्री नगर, सिद्धी विनायक सोसायटी, आशापूर्णा टाऊनशिप, रीको कॉलोनी, रामनगर कॉलोनी आदि है ।

2.4 जन सांख्यिकीय रूपरेखा

जनगणना के अनुसार वर्ष 2001 में सांचोर की जनसंख्या 25884 रही है। जनसंख्या के आंकड़ों के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि वर्ष, 1971 – 1981 के दशक में वृद्धि दर सर्वाधिक रही, है जो 70 प्रतिशत से अधिक है। वर्ष 1961 से 2001 के दौरान चार दशकों में लगभग साढ़े चार गुना जनसंख्या में वृद्धि हुई है। इन दशकों में जनसंख्या की औसत वृद्धि दर 48 प्रतिशत रही है । वर्ष 2009 में कस्बे की जनसंख्या लगभग 33500 अनुमानित की गई है। विगत वर्षों में जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के मुख्य कारणों में जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि के साथ-साथ व्यावसायिक एवं औद्योगिक गतिविधियों से रोजगार सृजन आदि रहे हैं। जनसंख्या वृद्धि प्रवृत्ति को तालिका संख्या 1 में दर्शाया गया है।

तालिका – 1

जनसंख्या वृद्धि प्रवृत्ति सांचोर – 1961–2001

वर्ष	जनसंख्या	दशकीय अन्तर	वृद्धि दर प्रतिशत
1961	5538	—	—
1971	8048	2510	+ 45.32
1981	13740	5692	+ 70.73
1991	18827	5087	+ 37.02
2001	25884	7057	+ 37.48
2009'	33500	7661	+ 29.59

स्रोत : भारतीय जनगणना एवं अनुमान

2.5 व्यावसायिक संरचना

वर्ष 1991 की जनगणना अनुसार सांचोर कस्बे में कार्यशील जनसंख्या का सहभागिता अनुपात 26.82 प्रतिशत अर्थात् कुल कामगारों की संख्या 5051 थी । वर्ष

2001 की जनसंख्या के अनुसार कुल कामगारों की संख्या 7462 रही है, जो कुल जनसंख्या से कार्यशील जनसंख्या का सहभागिता अनुपात 28.83 प्रतिशत रहा है । सांचोर में पिछले दशकों में नगरीय गतिविधियों के बढ़ने से कृषि जोत के क्षेत्रफल में कमी होने से कृषि एवं इससे सम्बन्धित व्यावसाय में कामगारों का प्रतिशत घटा है और औद्योगिक गतिविधियों में कामगारों का प्रतिशत बढ़ा है । वर्ष 2001 में कृषि संबंधी व्यावसाय में 26.94 प्रतिशत, उद्योग में 18.76 प्रतिशत, व्यापार एवं वाणिज्य में 23.05 प्रतिशत, निर्माण में 8.04 प्रतिशत, परिवहन एवं संचार में 6.70 प्रतिशत तथा अन्य सेवाओं में 16.51 प्रतिशत कामगार कार्यरत रहे हैं । तालिका संख्या-2 में वर्ष 1991 तथा 2001 की व्यावसायिक संरचना को दर्शाया गया है :-

तालिका-2

व्यावसायिक संरचना, सांचोर-2001

क्रम संख्या	व्यावसाय	1991		2001	
		कामगारों की संख्या	कामगारों का प्रतिशत	कामगारों की संख्या	कामगारों का प्रतिशत
1.	कृषि एवं इससे सम्बन्धित कार्य	1957	38.74	2010	26.94
2.	उद्योग	921	18.23	1400	18.76
3.	व्यापार एवं वाणिज्य	1151	22.79	1720	23.05
4.	निर्माण	202	4.00	600	8.04
5	परिवहन एवं संचार	175	3.46	500	6.70
6	अन्य व्यवसाय	645	12.78	1232	16.51
	योग	5051	100.00	7462	100.00

स्रोत :- भारतीय जनगणना ।

2.6 विद्यमान भू – उपयोग

वर्तमान में कस्बे का नगरीयकृत क्षेत्रफल लगभग 1236 एकड़ है, इसमें से लगभग 983 एकड़ विकसित क्षेत्र है तथा शेष 253 एकड़ भूमि, खुलेरूप में रिक्त, कृषि, नर्सरी, नदी-नालों एवं जलाशयों के अन्तर्गत आती है । कुल विकसित क्षेत्रफल में से 415 एकड़ भूमि आवासीय है जो विकसित क्षेत्रफल का 42.22 प्रतिशत है । यह भू-उपयोग अन्य भू-उपयोगों के अपेक्षा सबसे अधिक है । वाणिज्यिक उपयोग के अन्तर्गत 53 एकड़ क्षेत्र है जो कुल विकसित का 5.39 प्रतिशत है । औद्योगिक उपयोग के अंतर्गत 29 एकड़ क्षेत्र आता है जो कुल विकसित क्षेत्र का 2.95 प्रतिशत है । सार्वजनिक एवं अर्द्ध –सार्वजनिक सुविधाएँ एवं जनोपयोगी सुविधाएँ आदि के अन्तर्गत 159 एकड़ अर्थात् 16.17 प्रतिशत भूमि है । सरकारी एवं अर्द्ध –सरकारी उपयोग के अन्तर्गत 9 एकड़ (0.92 प्रतिशत) भूमि है । आमोद-प्रमोद (मनोरंजन) के अन्तर्गत 6.61 प्रतिशत क्षेत्र है । परिसंचरण के अन्तर्गत 25.74 प्रतिशत भू-भाग है । तालिका संख्या –3 में कस्बे के विद्यमान भू-उपयोग को दर्शाया गया है :-

तालिका – 3

विद्यमान भू-उपयोग, सांचोर – 2009

क्र. संख्या	भू – उपयोग	क्षेत्रफल (एकड़ में)	विकसित क्षेत्रफल का प्रतिशत	नगरीयकृत क्षेत्रफल का प्रतिशत
1.	आवासीय	415	42.22	33.57
2.	वणिज्यिक	53	5.39	4.29
3.	औद्योगिक	29	2.95	2.35
4.	राजकीय	15	1.53	1.22
5.	आमोद-प्रमोद	65	6.61	5.26
6.	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक	159	16.17	12.86
7.	परिसंचरण	247	25.13	19.98
	विकसित क्षेत्र	983	100.00	...
8.	जलाशय एवं नदी-नाले	5	...	0.40
9.	पौधशाला / नर्सरी / डेयरी	8	...	0.65
10.	कृषि एवं खुली भूमि	240	...	19.42
	नगरीयकृत क्षेत्र	1236	...	100.00

स्रोत :- एजेन्सी द्वारा सर्वेक्षण

2.6 (1) आवासीय

आवासीय उपयोग के अन्तर्गत 415 एकड़ भूमि है जो कस्बे के कुल विकसित क्षेत्रफल का 42.22 प्रतिशत है। वर्ष 2001 की जनगणना अनुसार कस्बे की जनसंख्या 25884 तथा मास्टर प्लान के आधार वर्ष 2009 में इसकी जनसंख्या लगभग 33500 होने का आकलन किया गया है। कस्बे का औसत घनत्व लगभग 34 व्यक्ति प्रति एकड़ तथा आवासीय घनत्व लगभग 80 व्यक्ति प्रति एकड़ है।

वर्तमान में नगर पालिका के 25 वार्ड है । कस्बे के भीतरी भाग में जनसंख्या का घनत्व अधिक है। यहाँ औसत घनत्व लगभग 100 व्यक्ति प्रति एकड़ है । बाहर के क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व कम है । कस्बे के भीतरी भाग में आवासीय क्षेत्रों में सड़कों की चौड़ाई बहुत कम है। इस क्षेत्र के मुख्य आवासीय मौहल्ले – दरबार चौक, पिपली चौक, डोसियों का बास, चौपनिया बास, जेरडिया बास, डूंगरों का गोलिया, सादों का बास, माखुपुरा आदि है। इन आवासीय क्षेत्रों में सामुदायिक सुविधाओं का अभाव है ।

कस्बे के बाहरी क्षेत्रों में बसी प्रमुख आवासीय बस्तियाँ, इन्द्रा कॉलोनी, गायत्री नगर, विष्णु नगर, सिद्धी विनायक सोसायटी, आशापूर्णा टारुनशिप, पी.जी. नगर, रीको कॉलोनी आदि है । इन आवासीय बस्तियों में नगर के भीतरी भाग की अपेक्षाकृत सड़को की चौड़ाई अधिक है ।

2.6 (1) अ. आवासन

वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार कस्बे की कुल जनसंख्या 25884 थी। कुल परिवारों की संख्या 4261 थी । कस्बे के भीतरी भाग में आवासीय भवन एक दूसरे से सटे हुए एवं अधिकांशतः दो मंजिले है । कस्बे के बाहर के आवासीय क्षेत्रों में भवन एक दूसरे से सटे हुए न होकर उनमें खुलापन है । इन क्षेत्रों में अधिकांश भवन भू-तलीय है, तथा सेट बैक आदि छोड़े हुए है । यहाँ पर नर्मदा परियोजना की आवासीय कॉलोनी सुनियोजित रूप से विकसित की गयी है ।

2.6 (1) ब कच्ची बस्तियाँ

कस्बे के विभिन्न भागों में लगभग 12 कच्ची बस्तियों विकसित हो गयी है। जिनमें नेहरू कॉलानी, पुराना पावर हाऊस के पास कॉलोनी, ब्राहमणों का बास, शिवनाथपुरा, पीडब्ल्यूडी रोड पर कच्ची बस्ती, जेरडिया बास, माखुपुरा टंकी के पास, इन्दिरा कॉलोनी, बी.ढाणी रोड पर कच्ची बस्ती, नट कॉलोनी, दादाबाड़ी रोड

पर कच्ची बस्ती, रामदेव कॉलोनी आदि है । इन बस्तियों में जन सुविधाओं का प्रायः अभाव है ।

2.6 (2) वाणिज्यिक

सांचोर, जालोर जिले का एक प्रमुख व्यापार एवं वाणिज्यिक केन्द्र है। वाणिज्यिक उपयोग के अन्तर्गत 53 एकड़ क्षेत्र है जो कस्बे के कुल विकसित क्षेत्र का 5.39 प्रतिशत है । व्यावसायिक गतिवधियाँ, मुख्य रूप से सब्जी मण्डी मार्केट, रानीवाड़ा चार रास्ता तथा न्यू बस स्टेण्ड स्थित मार्केट में संचालित होती है । पुराने शहर के भीड़-भाड़ वाले इलाके में फल एवं सब्जी, किराणा, फेन्सी, कपड़ा, मिठाईयाँ, आभूषण आदि की दुकानें संचालित हैं । रानीवाड़ा चार रास्ता पर मशीनरी एवं ट्रेक्टर पार्ट्स आदि की दुकानें संचालित हैं । कस्बे में सुव्यवस्थित एवं नियोजित बाजार का अभाव है ।

इस व्यावसायिक क्षेत्र में सड़कों की चौड़ाई बहुत कम होने से हर समय आवागमन अवरूद्ध होने की समस्या बनी रहती है अर्थात् यातायात बाधित होता रहता है एवं लोगों को आवागमन में बाधाएँ उत्पन्न होती हैं ।

कृषि उत्पाद संग्रहण के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग पर मण्डी का विकास किया गया है उक्त कृषि मण्डी परिसर में विभिन्न आकार एवं क्षमता की दुकानें एवं गोदाम निर्मित हैं । यहाँ 63 दुकानें तथा एक 500 मैट्रिक टन क्षमता वाला ग्रामीण गोदाम निर्मित है । उक्त परिसर का क्षेत्रफल लगभग 15 एकड़ है। यहाँ प्रमुख उत्पादों में बाजरा, मोंठ, ग्वार, तिल रायड़ा तारामीरा, अरण्डी, जीरा आदि हैं। उक्त मण्डी के समीप ही फल एवं सब्जी मण्डी विकसित की गयी है ।

2.6 (3) औद्योगिक

सांचोर जालोर जिले का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक कस्बा है । इस भू-उपयोग के अन्तर्गत 29 एकड़ भूमि है, जो कुल विकसित क्षेत्रफल का 2.95 प्रतिशत है। यहाँ छोटे एवं मध्यम श्रेणी के उद्योग स्थापित हैं । यहाँ रीको का औद्योगिक

क्षेत्र राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 के समीप स्थापित किया गया है। इस औद्योगिक क्षेत्र में मुख्यतः एस0एस0 पाईप एवं जिप्सम से सम्बन्धित तथा पी0ओ0पी0 आदि के उत्पाद की ईकाइयाँ स्थापित है। इस औद्योगिक क्षेत्र के अतिरिक्त कस्बे के विभिन्न भागों में लघु एवं कुटिर उद्योग की ईकाइयाँ कार्यशील है। निम्नलिखित तालिका में विभिन्न उद्योगों के प्रकार एवं उनमें कार्यरत श्रमिकों की संख्या को दर्शाया गया है :-

तालिका - 4

औद्योगिक संरचना सांचोर-2009

क्रम संख्या	उद्योगों का प्रकार	ईकाइयों की संख्या	नियोजित श्रमिकों की संख्या
1.	कृषि आधारित	12	44
2	खनिज आधारित	12	62
3	मशीनरी आधारित	32	81
4	वन आधारित	4	22
5	धातु आधारित	14	171
6	प्लास्टिक आधारित	1	6
7	अन्य	14	71
	योग	89	457

स्रोत : कार्यालय जिला उद्योग अधिकारी, जालोर ।

2.6 (4) राजकीय

2.6 (4) अ. सरकारी एवं अर्द्ध-सरकारी कार्यालय

सांचोर उपखण्ड मुख्यालय है। यहाँ पर कई सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी कार्यालय स्थित है। सांचोर में नर्मदा परियोजना के कार्यालय स्थापित हैं। इस उपयोग के अन्तर्गत 9 एकड़ भूमि है। राजकीय कार्यालय कस्बे के विभिन्न भागों में स्थापित है। यहाँ न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी, तहसील, उपकोषागार, नगरपालिका, जोधपुर

विद्युत वितरण निगम लि., जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिक विभाग आदि आम जन से संबंधित कार्यालय प्रमुख रूप से है। नगर में विभिन्न सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी कार्यालयों की संख्या 43 है तथा इन कार्यालयों में 1001 कर्मचारी नियोजित है। तालिका-5 में विभिन्न कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों एवं कार्यालयों की संख्या को दर्शाया गया है।

तालिका-5

सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी कार्यालय, सांचोर- 2009

क्रम संख्या	कार्यालय श्रेणी	कार्यालयों की संख्या	कर्मचारियों की संख्या
1.	राज्य सरकार के कार्यालय	27	721
2.	राज्य सरकार के अर्द्ध सरकारी कार्यालय	8	179
3.	केन्द्र सरकार के कार्यालय	3	23
4.	केन्द्र सरकार के अर्द्ध सरकारी कार्यालय	5	78
	योग	43	1001

स्रोत : एजेन्सी द्वारा प्राथमिक सर्वेक्षण

2.6 (4) ब- राजकीय आरक्षित

वर्तमान में नगर के पश्चिम भाग में होमगार्ड प्रशिक्षण केन्द्र के रूप में लगभग 6 एकड़ भूमि का उपयोग किया जा रहा है।

2.6 (5) आमोद - प्रमोद

सांचोर में नियोजित रूप से विकसित आमोद-प्रमोद के स्थलों का अभाव है। इस भू-उपयोग के अन्तर्गत 65 एकड़ भूमि आती है जो विकसित क्षेत्र का 6.61 प्रतिशत है।

2.6 (5) अ. उद्यान एवं खुले स्थल

पर्यावरण की दृष्टि से पार्क एवं खुले स्थल अत्यधिक महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्यप्रद नगरीय जीवन के लिए पर्यावरण की सुरक्षा एवं संरक्षण आवश्यक है। कस्बे में नगरीय स्तर के उद्यानों का अभाव है। यहाँ पर व्यवस्थित ढंग से 2 विकसित उद्यान है। जिसमें से एक सुभाष नगर में तथा दूसरा नेहरू पार्क, जो दरबार चौक में स्थित है। इनके अलावा नियोजित ढंग से विकसित आवासीय योजनाओं में पार्क एवं खुले स्थल छोड़े गये है।

2.6 (5) ब. स्टेडियम एवं खेल मैदान

कस्बे में नगरीय स्तर के स्टेडियम का अभाव है। कस्बे के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के पास स्थित खुले स्थल में खेलकूद प्रतियोगिताएँ तथा राष्ट्रीय समारोहों का आयोजन होता है।

2.6 (5) स. मेले एवं पर्यटन सुविधाएँ

यहाँ पर विभिन्न तरह के मेलों के आयोजन हेतु कस्बे के रीको क्षेत्र के पास पशु मेला, प्रतापपुरा में पीर की झाल का मेला, गोलासन गांव में हनुमान मन्दिर का मेला तथा सिद्धेश्वर में सती दक्षिणी मेला आदि आयोजित होते हैं। यहाँ ठहरने हेतु 10 होटल एवं गेस्ट हाऊस तथा विभिन्न जातियों की चार धर्मशालाएँ तथा विवेकानन्द सर्किल के पास एक सार्वजनिक सराय बनी हुई है।

2.6 (5) द. अर्द्ध-सार्वजनिक मनोरंजन

कस्बे में अर्द्ध सार्वजनिक मनोरंजन की सुविधाओं की उपलब्धता नगरीय सुविधा के अनुरूप नहीं है। वर्तमान में नगर में एक छोटा क्लब संचालित है।

2.6 (6) सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक सुविधाएँ

2.6 (6) अ. शैक्षणिक

कस्बे में प्राथमिक शिक्षा से महाविद्यालय स्तर तक की शिक्षा प्राप्त करने हेतु शैक्षणिक सुविधाएँ उपलब्ध है । विद्यालय, महाविद्यालय स्तर तक शिक्षा प्राप्त करने हेतु 5 उच्च माध्यमिक विद्यालय, 5 माध्यमिक विद्यालय, 20 उच्च प्राथमिक विद्यालय 29 प्राथमिक विद्यालय एवं एक महाविद्यालय है। इनमें कुल विद्यार्थियों की संख्या 13629 है । निम्न तालिका में विभिन्न स्तर के विद्यालय एवं उनमें अध्ययनरत विद्यार्थियों की संख्या को दर्शाया गया है –

तालिका – 6

शैक्षणिक संरचना, सांचोर – 2009

क्रम संख्या	विद्यालय स्तर	विद्यालयों की संख्या	विद्यार्थियों की संख्या
1.	प्राथमिक विद्यालय	29	3840
2.	उच्च प्राथमिक विद्यालय	20	3929
3.	माध्यमिक विद्यालय	5	1740
4.	सीनियर माध्यमिक विद्यालय	5	3225
5	महाविद्यालय	1	895
	योग	60	13629

स्रोत : एजेन्सी द्वारा प्राथमिक सर्वेक्षण

2.6 (6) ब. चिकित्सा

चिकित्सा सेवाएँ प्रदान करने हेतु कस्बे में मुख्यतः 15 चिकित्सालय हैं जिसमें से एक राज्य सरकार द्वारा संचालित है। इन चिकित्सालयों में 240 शैय्याएँ हैं। वर्तमान में उपलब्ध चिकित्सा सुविधा पर्याप्त है। परन्तु भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है। यहाँ एक राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय कार्यरत है। इन राजकीय चिकित्सालयों एवं औषधालयों के अतिरिक्त कस्बे के विभिन्न भागों में 14 निजी चिकित्सालय हैं। कस्बे में कुछ निजी क्लिनिक भी कार्यशील हैं। तालिका-7 में विभिन्न चिकित्सा सेवाओं को दर्शाया गया है :-

तालिका - 7

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, सांचोर - 2009

क्रम संख्या	चिकित्सालय/औषधालय का नाम	चिकित्सालय की संख्या	शैय्याओं की संख्या
1.	एलोपैथिक चिकित्सालय	15	240
2.	आयुर्वेदिक चिकित्सालय	1	—
3	होम्योपैथिक चिकित्सालय	1	—
	योग	17	240

स्रोत : - एजेन्सी द्वारा प्राथमिक सर्वेक्षण

2.6 (6) स. सामाजिक/सांस्कृतिक/धार्मिक/ऐतिहासिक एवं धरोहर स्थल

नगर में प्रमुख धार्मिक, ऐतिहासिक एवं धरोहर स्थलों में श्री लक्ष्मी नारायणजी का मंदिर (श्री ठाकूर जी का मंदिर), शिव मंदिर, गाडी पार्श्वनाथ मंदिर, बाबा रघुनाथ की डेरी, जामा मस्जिद तथा बोरला तालाब आदि हैं। इन स्थलों का संरक्षण एवं विकास किया जाना अपेक्षित है।

कस्बे में विभिन्न सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन हेतु कोई स्थल उपलब्ध नहीं है। वर्तमान में दरबार चौक स्थित नेहरू पार्क में इनका आयोजन किया जाता है।

2.6 (6) द. अन्य सामुदायिक सुविधाएँ

कस्बे में अन्य सामुदायिक सुविधाओं की उपलब्धता नगरीय आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है । कुछ नये आवासीय क्षेत्रों में सामुदायिक भवन निर्मित है । कस्बे में 2 पेट्रोल पम्प, 1 उप डाकघर, एक दूरभाष केन्द्र तथा इसी के साथ तारघर है । कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु दो पुलिस स्टेशन तथा एक पुलिस चौकी है । नगर पालिका के पास अग्निशमन सेवा उपलब्ध है। नगर पालिका द्वारा इन्द्रा पार्क के पास एक वाचनालय संचालित है ।

2.6 (6) य. जनोपयोगी सुविधाएँ

2.6 (6) य. (i) जलापूर्ति

कस्बे में जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग द्वारा सुरावा ग्राम स्थित नलकूपों द्वारा जलापूर्ति की जाती है । सुरावा में स्थित 12 नलकूपों द्वारा कस्बे के विभिन्न क्षेत्रों में जल उत्पादन कर जल वितरित किया जाता है । इसके अलावा माखुपुरा में 800 किलो लीटर क्षमता वाले 2 उच्च जलाशय तथा 4.5 लाख लीटर क्षमता वाले 2 सी0डब्ल्यू0आर0 बने हुए हैं। इन जल स्रोतों से प्रतिदिन 2000 के.एल.डी. जल उत्पादन कर वितरित किया जाता है, जबकि मांग 3300 के.एल.डी. है ।

निम्न तालिका में जलदाय विभाग द्वारा विभिन्न प्रयोजनार्थ दिये गये जल सम्बन्धों को दर्शाया गया है :-

तालिका – 8

जल सम्बन्धों के प्रकार एवं संख्या, सांचोर – 2009

क्रम संख्या	जल सम्बन्धों के प्रकार	जल सम्बन्धों की संख्या
1.	घरेलू	5395
2.	वाणिज्यिक	401
3.	औद्योगिक	42
4.	राजकीय	319
	योग	6157

स्रोत : जलदाय विभाग, सांचोर ।

2.6 (6) य. (ii) मल-जल निकास एवं ठोस कचरा निस्तारण प्रबन्धन

नगर में मल-जल निस्तारण हेतु भूमिगत सीवरेज प्रणाली की व्यवस्था नहीं है । दूषित जल खुली नालियों में निस्तारित कर मेहता अस्पताल के पीछे स्थित प्राकृतिक नाले में निस्तारित किया जाता है, जिससे वातावरण दूषित बना रहने के कारण अनेक प्रकार की बीमारियाँ फैलने की आशंका बनी रहती है। यह नाला आगे जाकर सिद्धेश्वर ग्राम सीमा में मिलता है । वर्षा काल में इन क्षेत्रों में स्थिति और भी विकट हो जाती है । नगर का ठोस कचरा कस्बे के बाहर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 पर स्थित पुलिया के पास निष्पादित किया जाता है।

2.6 (6) य. (iii) विद्युत आपूर्ति

कस्बे में विद्युत आपूर्ति जोधपुर विद्युत वितरण निगम, लि. द्वारा की जाती है। नगर में विद्युत आपूर्ति का मुख्य स्रोत भीनमाल-सिरोही-देवारी-सांचोर 132 के.वी. लाईन है जो जी.एस.एस. तक पहुंचती है वहां से 11 के.वी. लाईन द्वारा फीडर

तक पहुंचती है। यहां से नगर के विभिन्न क्षेत्रों में आपूर्ति की जाती है। नगर में विभिन्न प्रकार के विद्युत सम्बन्धों को दर्शाया गया है :-

तालिका-9

विद्युत सम्बन्धों के प्रकार एवं संख्या, सांचोर-2009

क्रम संख्या	विद्युत उपभोग के प्रकार	विद्युत सम्बन्धों की संख्या
1.	घरेलू	4006
2.	वाणिज्यिक	1007
3.	औद्योगिक	101
4.	कृषि	29
5.	रोड लाईट्स	19
	योग	5162

स्रोत : जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि., सांचोर ।

2.6 (6) र. श्मशान एवं कब्रिस्तान

नगर के विभिन्न भागों विशेषकर मध्य भाग के दक्षिण में बेहलिमों का बास, जेरड़िया बास, मधुला का धोरा, रामदेव कॉलोनी के आस-पास, बिठाणी, काजा का गोलिया, डूंगरा का गोलिया तथा महाकुबरा आदि स्थानों पर विभिन्न धर्मों के श्मशान तथा कब्रिस्तान स्थित है। जिनको विद्यमान भू-उपयोग मानचित्र में दर्शाया गया है।

2.6 (7) परिसंचरण

सांचोर, सड़क मार्ग द्वारा प्रदेश के विभिन्न भागों से भली-भाँति जुड़ा हुआ है । सांचोर में परिसंचरण भू-उपयोग के अर्न्तगत 150 एकड़ भूमि है जो विकसित क्षेत्रफल का 14.30 प्रतिशत है । सांचोर राष्ट्रीय राजमार्ग-15 से दक्षिण-पश्चिम में गुजरात राज्य की सीमा से संपर्कित है ।

2.6 (7) अ. यातायात व्यवस्था

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 पर स्थित होने के कारण यहां यातायात आवृत्ति अधिक है । कस्बे की मुख्य आन्तरिक सड़के बस स्टेण्ड, तहसील की ओर जाने वाली सड़के हैं, जिनकी चौड़ाई कम है । इन सड़कों के दोनों ओर व्यावसायिक गतिविधियाँ संचालित है ।

कस्बे के दक्षिणी भाग में अहमदाबाद सड़क (राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15) रीको औद्योगिक क्षेत्र के समीप से गुजरती है तथा इस सड़क पर यातायात का सदैव दबाव बना रहता है । कस्बे के मुख्य सदर बाजार (सब्जी मण्डी मार्ग) की एवं अन्य व्यावसायिक क्षेत्रों की सड़कों की चौड़ाई कम होने से सुगम आवागमन में बाधा उत्पन्न होती है । कस्बे में पार्किंग स्थल अपर्याप्त होने से वाहन सड़कों के मार्गाधिकार क्षेत्र में खड़े किये जाते हैं, इससे यातायात व्यवस्था बाधित होती है ।

2.6 (7) ब. बस तथा ट्रक टर्मिनल

रोडवेज बसों के संचालन हेतु कस्बे में बस स्टेण्ड है । रोडवेज बस स्टेण्ड के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 पर निजी बसों के संचालन हेतु पार्किंग स्थल निर्धारित किया हुआ है । वर्तमान में यहां से प्रतिदिन 22 रोडवेज बसें तथा लगभग 30 निजी बसें विभिन्न क्षेत्रों हेतु संचालित होती है ।

2.6 (7) स. रेल एवं हवाई सेवा

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 पर सांचोर एक महत्वपूर्ण कस्बा है । यह रेल मार्ग से सम्पर्कित नहीं है । यहाँ का नजदिकी रेलवे स्टेशन रानीवाड़ा है, जो 47 कि.मी. की दूरी पर स्थित है । सांचोर में हवाई सेवा उपलब्ध नहीं है। यहाँ सार्वजनिक छात्रावास के पास खसरा नं. 222 में 20 बीघा क्षेत्र में हवाई पट्टी बनी हुई है ।

3
नियोजन की संकल्पना

3.0 नियोजन की संकल्पना

प्राचीन काल से ही मानव अपनी सुरक्षा, विभिन्न सेवाओं के आदान-प्रदान, भोजन एवं अन्य आवश्यकताओं, धार्मिक, सामाजिक क्रियाकलापों आदि के लिए समूहों में रहता रहा है । इन सभी कारणों आवश्यकताओं की पूर्ति स्वरूप ही नगरों की संरचना प्रारम्भ हुई । नगर के भौतिक स्वरूप व उसकी संरचना पर नगरवासियों के सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक विकास की तस्वीर स्पष्ट रूप से दिखाई देती है । मध्यकाल के दौरान सुरक्षा ही मानव का मुख्य लक्ष्य था । अतः नगरों का विकास सुरक्षित स्थलो, वनस्पति से आच्छादित क्षेत्रों, नदी घाटियों के समीप, उच्च स्थलों पर होना प्रारम्भ हुआ। बाद में इन्हीं नगरों में प्रशासनिक, सांस्कृतिक, धार्मिक शिक्षा, व्यापार एवं वाणिज्यिक तथा यातायात इत्यादि गतिविधियों से नगरों में लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए। स्वतंत्रता के पश्चात् सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत आर्थिक गतिविधियों एवं चहुँमुखी विकास के फलस्वरूप लघु एवं मध्यम दर्जे के कस्बों का विकास हुआ। विकास की तीव्र प्रवृत्ति के फलस्वरूप नगर नियोजकों ने, नगरों के सुनियोजित विकास एवं भीड़-भाड़ जैसी विकट समस्याओं के निराकरण हेतु नगरों के मास्टर प्लान तैयार करने की आवश्यकता महसूस की गयी।

भौतिक एवं प्रादेशिक नियोजन एक ऐसी पद्धति है जो नगर के भावी आकार, स्वरूप, प्रतिरूप एवं इसके विकास की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय करने का प्रयास करती है और इन निर्णयों के क्रियान्वयन हेतु समुचित तन्त्र की संरचना करती है।

नियोजन की भाषा में इस प्रकार की संरचना को मास्टर प्लान कहा जाता है । मास्टर प्लान नगर के भावी विकास को निर्देशित करने वाली नीतियों एवं सिद्धान्तों का लिखित एवं मानचित्र विवरण है । इसमें भू-उपयोग योजना के अलावा अन्य मानचित्र भी होते हैं । प्रस्तावित भू-उपयोग योजना इन नीतियों एवं सिद्धान्तों को विस्तार से लागू करने के लिए भावी तस्वीर है और यह नगर की सुगम यातायात व्यवस्था एवं विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के वितरण को भी दर्शाता है । मास्टर प्लान नगर के प्रशासन और जनता को निश्चित मार्गदर्शन प्रदान करता है । प्रत्येक नगर की अपनी कुछ विशेषताएँ होती हैं, जिन्हें सुरक्षित बनाये रखने की

जन साधारण की प्रबल आंकाक्षा होती है । अतः कतिपय मान्यताएँ निर्धारित करके, उद्देश्यों के सन्दर्भ में, नियोजन के सिद्धान्तों को विकसित किया जाता है । इन बिन्दुओं को ध्यान में रखकर, मास्टर प्लान तैयार किया जाता है । सांचोर, नगरीय क्षेत्र के मास्टर प्लान बनाने की प्रक्रिया में इन सभी पहलुओं को दृष्टिगत रखते हुए एक समेकित योजना तैयार करने का प्रयास किया गया है ।

3.1 नियोजन की नीतियाँ

सांचोर, जालोर जिले का एक उपखण्ड एवं तहसील मुख्यालय होने के साथ साथ औद्योगिक एवं वाणिज्यिक महत्व वाला कस्बा है, इस नगर का विकास एक लम्बाकार रूप (स्पदमंत) में हुआ है तथा भौतिक अवयवों के कारण इसी प्रतिरूप में विकास एवं विस्तार की संभावना है। यह गुजरात सीमा के समीप होने तथा बहुप्रतिक्षित नर्मदा परियोजना के आगमन से भविष्य में भी यह प्रशासनिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक गतिविधियों का केन्द्र बना रहेगा तथा आने वाले वर्षों में इन गतिविधियों के बढ़ने की प्रबल सम्भावनाएँ हैं। यह वाणिज्यिक, औद्योगिक एवं दुग्ध उत्पादक केन्द्र के रूप में विकसित होगा ।

नर्मदा परियोजना के आगमन से इस क्षेत्र में सिंचाई, कृषि, पशुपालन, डेयरी व्यावसाय उद्योग आदि क्षेत्रों में विस्तार होगा तथा स्थानीय पेयजल की समस्या में राहत मिलेगी। सिंचाई के क्षेत्र में वृद्धि से स्थानीय डेयरी व्यवसाय को प्रोत्साहन प्राप्त होगा, इससे रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी। इस क्षेत्र में जिप्सम की प्रचुरता से संबंधित उत्पादों की इकाईयों की स्थापना आदि के क्षेत्र का आर्थिक विकास होगा। सांचोर अच्छी नस्ल की गायों के लिए भी जाना जाता है। सिंचाई के क्षेत्र में क्रान्ति आने से डेयरी व्यावसाय एवं इससे संबंधित उत्पादों में अभिवृद्धि होगी। अतः यह कहा जा सकता है कि उपरोक्त वर्णित कारणों से यहां चहुँमुखी विकास की प्रबल संभावना है। इन सभी पहलुओं को दृष्टिगत रखते हुए यहां का सुनियोजित एवं सुव्यवस्थित विकास आवश्यक है ।

3.2 नियोजन के सिद्धान्त

उपरोक्त नियोजन की नीतियों की पालना में निम्नलिखित सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये हैं :-

1. सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र को योजना क्षेत्रों में बाँटा जाये। भू-उपयोग का निर्धारण इस प्रकार किया जावे की पुराने शहर व नये विकसित किये जाने वाले क्षेत्रों में सामंजस्य बना रहे। विभिन्न क्षेत्रों को सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक सुविधाओं की दृष्टि से स्वपूरित व आत्मनिर्भर बनाया जा सके। कार्य क्षेत्रों के साथ-साथ उनके समीप ही विभिन्न क्षेत्रों में आवासीय क्षेत्रों को विकसित किया जावे तथा वहीं पर सामुदायिक एवं जनोपयोगी सुविधाओं आदि का विकास किया जाये।
2. वाणिज्यिक गतिविधियों के प्रस्तावित वितरण केन्द्र तथा पुराने क्षेत्र में जनसंख्या के दबाव को कम करने के उद्देश्य से नये वाणिज्यिक स्थानों का आवासीय क्षेत्रों के पास ही समुचित विकास किया जाना चाहिए। थोक व्यापार के साथ-साथ गोदामों का प्रावधान किया जाना आवश्यक है।
3. सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी कार्यालय नियोजित रूप से ही स्थापित होने चाहिए तथा पर्याप्त भूमि उक्त प्रयोजनार्थ प्रस्तावित की जानी चाहिए।
4. आवासीय घनत्व की विषमता को कम किया जाना चाहिए। नये आवासीय क्षेत्रों एवं कार्यस्थलों का समुचित विकास मूल आवश्यकताओं के अनुरूप किया जाना चाहिए ताकि पुराने क्षेत्र के निवासी बाहरी क्षेत्रों में निवास हेतु प्रोत्साहित हो सके तथा आस-पास क्षेत्रों से आने वाले लोगों के लिए आवास सुविधा उपलब्ध हो सके।
5. भविष्य में शिक्षा के क्षेत्र में उच्च तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों के लिए प्रावधान किया जाना चाहिए।
6. सामुदायिक एवं जनोपयोगी सुविधाओं का समुचित विकास किया जाना चाहिए।
7. विरासत के रूप में विद्यमान ऐतिहासिक एवं धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थलों के संरक्षण एवं विकास की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए ताकि नगर की परम्परागत सांस्कृतिक धरोहर को नष्ट होने से बचाया जा सके।

8. नगर के यातायात आवृत्ति की कुशल व्यवस्था विकसित की जावे जो भू-उपयोग योजना के अनुरूप हो अर्थात् भू-उपयोग योजना एवं यातायात संरचना एक दूसरे की पूरक होनी चाहिए। बस स्टेण्ड एवं माल गोदाम, लदान के स्थलों का विकास उचित क्षेत्रों में ही किया जाना चाहिए। क्षेत्रीय यातायात को स्थानीय यातायात से मिश्रित न होने देने के लिए बाह्य मार्गों का प्रावधान किया जाना चाहिये। इसके अन्तर्गत विद्यमान मुख्य सड़कों के यातायात दबाव कम करने हेतु वैकल्पिक मार्ग प्रस्तावित किये जाने चाहिए।

9. औद्योगिक गतिविधियाँ एकीकृत रूप से ऐसे स्थल पर विकसित की जानी चाहिए जिससे नगर के पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े और औद्योगिक विकास के साथ साथ रोजगार सृजन हो सके।

10. नगरीयकरण योग्य सीमा के बाहर के क्षेत्रों में किसी प्रकार के अनाधिकृत विकास को नियंत्रित करने के उद्देश्य से चारों ओर एक परिधि नियंत्रण पट्टी का निर्धारण किया जाना चाहिए तथा इस पट्टी में स्थित ग्रामीण बस्तियों का नियंत्रित परन्तु सीमित नियोजित विकास का प्रावधान होना चाहिए।

सांचोर का मास्टर प्लान यहाँ के लोगों की भावी आवश्यकताओं एवं भावनाओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। मास्टर प्लान का प्रारूप विभागीय नीति एवं जनहित में मार्गदर्शन के रूप में आगामी 22 वर्षों के लिए तैयार किया गया है। यह प्लान सन् 2009 के आँकड़ों एवं सूचनाओं पर आधारित है। इसका क्षीतिज वर्ष 2031 है। अतः यह एक दीर्घकालीन योजना है जो भविष्य की अनुमानित आवश्यकताओं के सन्तुलित एवं समग्र विकास का अभिनव प्रयास है। यह प्लान राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 के प्रावधान के तहत तैयार किया गया है तथा राज्य सरकार की स्वीकृति के पश्चात् यह एक वैधानिक दस्तावेज बन जाता है।

4
भावी आकार

4.0 भावी आकार

4.1 जन सांख्यिकीय

वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार सांचोर कस्बे की जनसंख्या 18827 थी। जो वर्ष 2001 में बढ़कर 25884 हो गई। 1971-1981 के दशक में वृद्धिदर 70.73 प्रतिशत रही। सांचोर में नर्मदा परियोजना के आगमन से कृषि व्यावसाय को प्रोत्साहन मिलेगा एवं औद्योगिक ईकाइयां तीव्र गति से स्थापित होगी। इसके साथ साथ स्थानीय प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता के कारण यहां औद्योगिक विकास की प्रबल सम्भावना है। अतः यह अनुमान लगाया गया है कि योजना अवधि वर्ष 2031 तक कस्बे की जनसंख्या लगभग 65,000 हो जाने का अनुमान है। जनसंख्या वृद्धि के अनुमान लगाते समय प्राकृतिक वृद्धि दर के अतिरिक्त आवर्जन कारक का भी ध्यान रखा गया है। जनसंख्या प्रवास का आंकलन करते समय नगर की बहुप्रतिक्षित नर्मदा योजना का आगमन, उद्योगों की स्थापना एवं रोजगार के अवसरों का सर्जन आदि पहलुओं को दृष्टिगत रखा गया है। इन सभी कारणों से ग्रामीणों, श्रमिकों, व्यापारियों एवं निवेशकों का सांचोर की ओर रुझान रहेगा। तालिका संख्या 10 में अनुमानित जनसंख्या को दर्शाया गया है :-

तालिका – 10

जनसंख्या वृद्धि एवं अनुमान, सांचोर, 2001 – 2031

वर्ष	वास्तविक / अनुमानित जनसंख्या	अंतर	वृद्धि दर प्रतिशत में
2001	25884	7057	37.48
2011	35500'	9616	37.15
2021	48600'	13100	36.90
2031	65000'	16400	33.74

स्रोत :- भारत की जनगणना एवं अनुमान

(अनुमानित जनसंख्या)

4.2 व्यावसायिक संरचना :-

सांचोर, नगर की वर्ष 1991 में कुल जनसंख्या 18827 में से कार्यशील व्यक्तियों की संख्या 5051 थी अर्थात् कुल जनसंख्या से कार्यशील जनसंख्या का सहभागिता अनुपात 26.82 प्रतिशत रहा है। वर्ष 2001 में कार्यशील व्यक्तियों की संख्या 7462 थी जो कुल जनसंख्या से कार्यशील जनसंख्या का सहभागिता अनुपात 28.83 प्रतिशत था। योजना अवधि तक कस्बे की जनसंख्या लगभग 65,000 आंकलित की गई है जिसमें से कार्यशील व्यक्तियों की जनसंख्या 20000 होने का अनुमान है। अतएव मास्टर प्लान के क्षितिज वर्ष 2031 में कार्यशील जनसंख्या की सहभागिता दर 31 प्रतिशत रहने की संभावना है। सांचोर मुख्यतः एक वाणिज्यिक कस्बा है तथा भविष्य में भी इसकी यह विशेषता बनी रहने के साथ औद्योगिक विकास की प्रबल संभावनाएं हैं।

उद्योग श्रेणी में लगे कामगारों का प्रतिशत 18.76 प्रतिशत से बढ़कर 20 प्रतिशत हो जाने की सम्भावना है। इसी तरह व्यापार एवं वाणिज्यिक श्रेणी में 23.05 प्रतिशत से बढ़कर 25 प्रतिशत कामगार होंगे। निर्माण श्रेणी में लगे कामगारों का प्रतिशत 8.04 प्रतिशत से बढ़कर 10 प्रतिशत तथा परिवहन एवं संचार में 6.70 से बढ़कर 9 प्रतिशत हो जायेगा तथा अन्य सेवाओं में कामगारों का प्रतिशत 18 प्रतिशत रहेगा।

निम्न तालिका में व्यावसायिक संरचना को तुलनात्मक रूप में दर्शाया गया है :-

तालिका 11
व्यावसायिक संरचना, सांचोर – 2031

क्रम संख्या	व्यावसाय	2001		2031 (अनुमानित)	
		कार्यरत व्यक्तियों की संख्या	प्रतिशत	कार्यरत व्यक्तियों की संख्या	प्रतिशत
1	कृषि एवं इससे सम्बन्धित कार्य	2010	26.94	3600	18.00
2	उद्योग	1400	18.76	4000	20.00
3	व्यापार एवं वाणिज्य	1720	23.05	5000	25.00
4	निर्माण	600	8.04	2000	10.00
5	परिवहन एवं संचार	500	6.70	1800	9.00
6	अन्य सेवाएँ	1232	16.51	3600	18.00
	कुल योग	7462	100.00	20000	100.00

स्रोत :- भारतीय जनगणना एवं आंकलन ।

4.3 नगरीय क्षेत्र

सांचोर नगर का मास्टर प्लान तैयार करने हेतु राज्य सरकार द्वारा राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 की धारा 3 (1) के अन्तर्गत सांचोर सहित 15 राजस्व ग्रामों को सम्मिलित करते हुए दिनांक 13 जनवरी, 2010 को एक अधिसूचना जारी कर नगरीय क्षेत्र घोषित किया है । सन्दर्भित अधिसूचना परिशिष्ट -4 पर अंकित है । सांचोर नगरीय क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 34140 एकड है । नगरीयकरण योग्य क्षेत्र के चारो ओर अनियोजित विकास को नियन्त्रित करने, पर्यावरण संरक्षण एवं कृषि क्षेत्र की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए परिधि नियंत्रण क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है सांचोर के नगरीय क्षेत्र को चार योजना क्षेत्रों में विभाजित किया गया है

4.4 नगरीयकरण योग्य क्षेत्र :

वर्ष 1991 की जनगणना में नगर की जनसंख्या 18,827 एवं 2001 में इसकी जनसंख्या 25,884 थी । मास्टर प्लान के क्षितिज वर्ष 2031 तक सांचोर की जनसंख्या लगभग 65,000 हो जाने का अनुमान है। योजना अवधि तक लगभग 39,000 अतिरिक्त जनसंख्या जुड़ेगी । इस अतिरिक्त जनसंख्या के आवास एवं विभिन्न उपयोगों हेतु 1464 एकड़ अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता होगी । मास्टर प्लान के क्षितिज वर्ष 2031 तक 2687 एकड़ क्षेत्र विकास योग्य एवं 2700 एकड़ क्षेत्र नगरीयकरण योग्य क्षेत्र के रूप में प्रस्तावित किया गया है। कस्बे के विद्यमान स्वरूप का अध्ययन करने के पश्चात् इसका भावी विकास एवं विस्तार की दिशाओं, सम्भावनाओं, भूमि की उपलब्धता, योजना की परिकल्पना आदि पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कस्बे की सभी तरह की भावी नगरीय गतिविधियां नगरीयकरण योग्य क्षेत्र के अंदर ही प्रस्तावित की गयी है, नगरीकरण योग्य क्षेत्र के बाहर उक्त गतिविधियों को नियन्त्रित करने के उद्देश्य से परिधि नियंत्रण पट्टी प्रस्तावित की गयी है ।

4.5 योजना क्षेत्र :

सांचोर के समग्र, समन्वित, सन्तुलित, सुव्यवस्थित एवं सुनियोजित विकास तथा सौन्दर्यकरण व पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से इसके नगरीय क्षेत्र को 4 योजना क्षेत्रों में विभाजित किया गया है । योजना क्षेत्रों का निर्धारण सीमांकन करते समय यहां के भौतिक स्वरूप, विकास के प्रतिरूप, विकास की दिशा-प्रवृत्ति, आर्थिक – सामाजिक तथा सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए प्रस्तावित स्थलों की स्थिति एवं नगरीय योग्य सीमा के बाहर होने वाले अनाधिकृत विकास पर अंकुश आदि पहलुओं को ध्यान में रखते हुए किया गया है । एन.एच.15 पर स्थित चार रास्ता चौराहा से रानीवाड़ा और अगार गांवों की ओर जाने वाली सड़कों के उत्तर में स्थित क्षेत्र को उत्तरी योजना क्षेत्र के रूप में विभक्त किया गया है। जिसकी पूर्वी सीमा प्रस्तावित बाह्य मार्ग, पश्चिमी सीमा- प्रस्तावित रिंग रोड़, उत्तरी सीमा प्रस्तावित रिंग रोड़ एवं राष्ट्रीय राजमार्ग व हाडेचा सड़क के सहारे हुए विकास कार्य सम्मिलित है। इसकी अंतिम सीमा नगरीयकरण योग्य सीमा तक होगी । इसी तरह अगार-रानीवाड़ा

सड़कों एवं प्रस्तावित बड़सम लिंक रोड़ (उप प्रमुख मार्ग) के मध्य स्थित क्षेत्र को मध्य योजना क्षेत्र के रूप में दर्शाया गया है। इस योजना क्षेत्र की पूर्वी सीमा प्रस्तावित बाह्य मार्ग और पश्चिमी सीमा (प्रस्तावित रिंग रोड़) तक रखी गई है। शहर के दक्षिण भाग में प्रस्तावित बड़सम लिंक रोड़ के दक्षिण में स्थित क्षेत्र को दक्षिणी योजना क्षेत्र के रूप में विभक्त किया गया है। जिसकी दक्षिण-पूर्व सीमा प्रस्तावित बाह्य मार्ग और दक्षिण-पश्चिम सीमा प्रस्तावित रिंग रोड़ रखी गई है। ये तीनों योजना क्षेत्र आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों अर्थात् मानवीय आवश्यकताओं/नगर स्तरीय सुविधाओं की दृष्टि से परिपूर्ण एवं आत्म निर्भर होंगे। इसी तरह नगरीयकरण योग्य सीमा के चारों ओर इसकी सीमा से बाह्य आवरण के रूप में नगरीय सीमा तक परिधि नियंत्रण पट्टी के रूप में रेखांकित किया गया है। योजना अवधि में विभिन्न नगरीय गतिविधियों को नगरीयकरण योग्य क्षेत्र में ही सीमित रखने, कृषि को महत्व देने एवं पर्यावरण संरक्षण में परिधि नियंत्रण पट्टी क्षेत्र की महती आवश्यकता है।

नगरीय क्षेत्र मानचित्र में अधिसूचित 15 राजस्व ग्रामों की सीमा, वर्तमान नगरीयकृत क्षेत्र की सीमा व योजनावधि में नगरीयकरण योग्य क्षेत्र की सीमा को दर्शाया गया है। योजना क्षेत्रों का विवरण निम्नानुसार है :-

तालिका – 12

योजना क्षेत्र, सांचोर-2031

क्रम संख्या	योजना क्षेत्र का नाम	क्षेत्रफल (एकड़ में)	अनुमानित जनसंख्या
अ.	उत्तरी योजना क्षेत्र	1060	25000
ब.	मध्य योजना क्षेत्र	905	30000
स.	दक्षिणी योजना क्षेत्र	735	10000
द.	परिधि नियन्त्रण पट्टी	31440	—
	कुल योग	34140	—

4.5 (अ) उत्तरी योजना क्षेत्र—

यह योजना क्षेत्र शहर के उत्तरी भाग को सम्मिलित करते हुए निर्धारित किया गया है जिसकी उत्तरी सीमा बाड़मेर हाडेचा एवं धानता सड़कों पर हुए विद्यमान विकास, दक्षिण सीमा अगार—रानीवाड़ा सड़कों के उत्तर का भाग, पूर्वी सीमा प्रस्तावित बाह्य मार्ग और उत्तर—पश्चिमी सीमा प्रस्तावित रिंग रोड़ तक का क्षेत्र सम्मिलित किया गया है।

इस योजना क्षेत्र में पुराना शहर का भाग, डाक बंगला, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जी.एस.एस., वन विभाग, पुलिस थाना, बस स्टेण्ड, सिनेमा, जोधपुर विद्युत वितरण निगम, कृषि उपज मण्डी समिति, फल एवं सब्जी मण्डी आदि स्थित है।

4.5 (ब) मध्य योजना क्षेत्र

यह योजना क्षेत्र नगर का मध्य भाग है जिसका विस्तार उत्तर में अगार—रानीवाड़ा सड़क, दक्षिण में प्रस्तावित बड़सम लिंक रोड़, पूर्व में प्रस्तावित बाह्य मार्ग और पश्चिम में प्रस्तावित रिंग रोड़ तक रखा गया है। शहरी मध्य क्षेत्र में विद्यमान नगर पालिका, चिकित्सालय, उपखण्ड अधिकारी कार्यालय, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, अग्नीशमन सेवा केन्द्र, होमगार्ड, स्काउट गाईड, नेहरू पार्क, महावीर चौराहा, हेलीपेड, बोरला नाडी, नर्मदा कॉलोनी, सोलर स्कूल आदि प्रमुख कार्यालय एवं क्षेत्र स्थित है।

4.5 (स) दक्षिण योजना क्षेत्र —

इस योजना क्षेत्र में शहर के दक्षिणी भाग को सम्मिलित किया गया है। जिसकी उत्तरी सीमा बड़सम लिंक रोड़, पूर्वी सीमा प्रस्तावित बाह्य मार्ग और पश्चिमी सीमा प्रस्तावित लिंक रोड़ तक का क्षेत्र सम्मिलित किया गया। इस योजना क्षेत्र में पश्चिमी भाग में ट्रांसपोर्ट नगर, औद्योगिक क्षेत्र, अस्पताल, वाणिज्यक, जनोपयोगी, पशु चिकित्सालय के लिए स्थल आरक्षित अन्य सामुदायिक सुविधाएँ

आदि प्रस्तावित की गयी है तथा विद्यमान मेला ग्राउंड का क्षेत्र विस्तारित किया गया है । इस योजना क्षेत्र में आर.टी.ओ., रीको, गौशाला, मेला ग्राऊन्ड, आई.डी.एस.एम.टी. की आवासीय एवं वाणिज्यक योजनाएँ आदि इस क्षेत्र में स्थित है ।

4.5 (द) परिधि नियंत्रण पट्टी –

परिधि नियन्त्रण पट्टी का विस्तार नगर के नगरीयकरण योग्य क्षेत्र अर्थात् उक्त तीन योजना क्षेत्रों से बाहर एवं अधिसूचित नगरीय क्षेत्र की सीमा तक है । परिधि नियन्त्रण पट्टी में ग्रामीण आबादी क्षेत्र के स्वाभाविक विकास/प्राकृतिक वृद्धि के साथ साथ कृषी, फलोद्यान, डेयरी, फार्मिंग, चूना भट्टा, रिसोर्ट, फार्म हाऊस, पेट्रोल पम्प, गेस, गोदाम, कोल्ड स्टोरेज आदि गतिविधियां अनुज्ञेय होगी । ग्रामीण क्षेत्रों का भी नियोजित ढंग से विकास किया जावेगा । नगर में सम्भावित अनियोजित विकास को नियंत्रित करने में परिधि नियंत्रण पट्टी का विशेष महत्व रहेगा । इसका क्षेत्रफल 31440 एकड है ।

5

भू-उपयोग योजना

5.0 भू-उपयोग योजना

नगर के समग्र एवं संतुलित विकास के लिए उपलब्ध भूमि का समानुपातिक एवं समुचित रूप से भू उपयोग का निर्धारण किया जाने की आवश्यकता होती है। अतएव नियोजन की नीतियों एवं सिद्धान्तों के अनुसार शहर सांचोर की भू-उपयोग योजना तैयार की गयी है। नगरीय भूमि एक महत्वपूर्ण सीमित संसाधन है, अतः भू-उपयोगों का निर्धारण करते वक्त नागरिकों की आवश्यकताओं एवं आंकाक्षाओं की सन्तुष्टि के साथ साथ नगर के नियोजित, सन्तुलित एवं समन्वित विकास के लक्ष्य रखे गये हैं। नगर के भौतिक स्वरूप, परिकल्पित जनसंख्या के लिए आवास, नगरीय क्षेत्रफल, वर्तमान एवं सम्भावित समस्त मानवीय गतिविधियों, विकास/विस्तार की दिशाओं के मद्देनजर विभिन्न सर्वेक्षण आंकड़ों के अध्ययन, विश्लेषण, निष्कर्ष एवं नगर नियोजन के मापदण्डों के आधार पर भिन्न-भिन्न प्रयोजनार्थ भू-उपयोग प्रस्तावित किये गये हैं।

मास्टर प्लान के क्षितीज वर्ष 2031 तक की आवश्यकताओं हेतु 2687 एकड़ विकास योग्य क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है। जिसमें से 1443 एकड़ भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ प्रस्तावित है। जो कुल प्रस्तावित विकास योग्य क्षेत्र का 53.70 प्रतिशत है। इसके अतिरिक्त 3.50 प्रतिशत वाणिज्यिक, 4.13 प्रतिशत औद्योगिक, 2.64 प्रतिशत सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी, 6.07 प्रतिशत आमोद-प्रमोद, 3.90 प्रतिशत सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक तथा 22.31 प्रतिशत भूमि परिसंचरण प्रयोजनार्थ प्रस्तावित की गई है। भू-उपयोग योजना शहर के सुनियोजित विकास के लिए मार्गदर्शिका है। जिसके अनुसार विभिन्न कार्यक्रमों के तहत चरणबद्ध विकास के रूप में योजना का क्रियान्वयन किया जाता प्रस्तावित है। तालिका संख्या 13 में वर्ष 2031 में प्रस्तावित भू-उपयोग के वितरण को दर्शाया गया है :-

तालिका – 13

प्रस्तावित भू-उपयोग, सांचोर 2031

क्रम संख्या	भू उपयोग	क्षेत्रफल एकड में	विकास योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	नगरीयकरण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत
1.	आवासीय	1443	53.70	53.44
2.	वाणिज्यिक	94	3.50	3.48
3.	औद्योगिक	111	4.13	4.11
4.	राजकीय	71	2.64	2.63
5.	आमोद-प्रमोद	105	3.90	3.88
6.	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक	264	9.82	9.77
7.	परिसंचरण	599	22.31	22.20
	कुल विकास योग्य क्षेत्र	2687	100.00	—
8.	जलाशय, नदी एवं नाले	5	—	0.19
9.	पौधशाला, नर्सरी एवं डेयरी	8	—	0.30
10.	कृषी एवं खुली भूमि	—	—	—
	कुल नगरीयकरण योग्य क्षेत्र	2700	—	100.00

5.1 आवासीय –

भू-उपयोग योजना में आवासीय क्षेत्र के लिए तकनीकी प्रबन्धक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसके परिणात्मक पहलु के साथ साथ गुणात्मक पहलु पर भी गम्भीर रूप से ध्यान दिया गया है, ताकि नागरिकों को स्वस्थ आवासीय वातावरण मिलने के साथ साथ कार्य स्थलों, आमोद-प्रमोद व सार्वजनिक सुविधा स्थलों तक पहुच कम समय में सरल एवं सुगम हो। योजना अनुसार लोगों को आवासीय बस्तियों के निकट ही प्रतिदिन की लोकोपयोगी सेवाएं ओर सुविधाएं उपलब्ध हो सकेगी। सांचोर की वर्ष 2031 तक की अनुमानित जनसंख्या 65000 के आवास हेतु 1443 एकड़ भूमि प्रस्तावित की गयी है, जो कुल विकास योग्य क्षेत्र का 50.70 प्रतिशत है। यहां के आवासीय घनत्व को युक्तिसंगत रूप से 2 श्रेणियों में रखा गया है। पुराने शहर का आवासीय घनत्व 100 व्यक्ति प्रति एकड़ एवं इससे अधिक माना गया है। जबकि बाहरी नये क्षेत्रों में अपेक्षाकृत जनसंख्या घनत्व कम है। नीतिगत रूप से नये क्षेत्रों में 50 व्यक्ति प्रति एकड़ आवासीय घनत्व के नये आवासीय क्षेत्र विकसित किये जायेंगे, जो आधारभूत सुविधाओं से परिपूर्ण होंगे, जिससे शहर के भीतरी भागों पर जनसंख्या दबाव पर अंकुश लगेगा। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि व आव्रजन से शहर की जनसंख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है, जिन्हे नियोजित क्षेत्रों में आवास सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।

5.1 (1) आवासन

नियोजन की अवधारणा के अनुरूप प्रत्येक नगरीय इकाई को स्वावलम्बी समूहों में विभाजित किया जा सकता है। जिनमें सबसे छोटी इकाई को भारतीय परिवेश में मौहल्ला कहा जाता है। ऐसे मौहल्लो में सामान्यतः 50 से 100 परिवार निवास करते हैं। इन मौहल्लों में पारिवारिक आत्मीयता, व्यक्तिगत एवं आपसी सम्बन्धों की प्रगाढता बनी रहती है। विभिन्न मौहल्लो के समूह को मिला कर बनी बस्तियों को योजना इकाई कहा जाता है, जिसकी आबादी 1000-2000 होती है। ऐसे योजना के केन्द्रीय स्थल पर प्राथमिक विद्यालय एवं वाणिज्यिक सुविधा के रूप में दुकाने, बाल उद्यान, चिकित्सा सुविधा आदि का प्रावधान रखा

गया है । इस प्रकार की चार से पांच योजना इकाईयां मिलकर एक आवासीय योजना क्षेत्र का स्वरूप ग्रहण करेगी । ऐसे प्रत्येक आवासीय क्षेत्र को एक माध्यमिक विद्यालय, स्थानीय शॉपिंग सेंटर, सार्वजनिक उद्यान और अन्य सामुदायिक सुविधाओं से परिपूर्ण किया जावेगा । इस प्रकार सांचोर नगरीयकरण योग्य क्षेत्र की 65 हजार जनसंख्या को विभिन्न योजना क्षेत्रों में बांटा गया है । शहरीय स्तर की विभिन्न सुविधाएँ जैसे विद्यालय, महाविद्यालय, औषधालय, उद्यान, स्टेडियम, खेल के मैदान, शॉपिंग सेंटर एवं अन्य सामुदायिक सुविधाओं का प्रावधान मास्टर प्लान में प्रावधान किया गया। यह प्रयास किया गया है कि विभिन्न कार्य स्थलों में कार्यरत लोगों को समीपस्थ क्षेत्र में ही आवासीय एवं अन्य सुविधाएँ उपलब्ध हो सकें । स्थानीय स्तर की विभिन्न सुविधाएँ जैसे प्राथमिक विद्यालय, पार्क, खुले स्थल, ओ.सी.एफ, इनफोरमल मार्केट आदि का प्रावधान विस्तृत योजनाएँ/ले-आउट प्लान अनुमोदित करते समय किया जावेगा ।

5.1 (2) नगरीय नवीनीकरण

नगर में अनियमित एवं अनियोजित ढंग से बसे हुए क्षेत्रों में रख-रखाव और नगरीय नवीनीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत विकास का कार्य किया जाना प्रस्तावित है । ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए भी संरक्षण कार्य किये जाने का प्रस्ताव है । पुराने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जहाँ जन घनत्व अत्यधिक है तथा पक्की सड़के, सीवर लाईन, गन्दे पानी के निकास की नालियाँ, पेयजल वितरण व्यवस्था, रोशनी व्यवस्था, पार्किंग व्यवस्था, आदि का अभाव है या जीण-शीर्ण अवस्था में या अस्तव्यस्त है, वहाँ पर नगरीय नवीनीकरण कार्यक्रम के तहत विकास के कार्य किये जाने प्रस्तावित है । मार्गाधिकार क्षेत्र में से अतिक्रमणों को हटाया जाना, विद्यमान पार्क स्थलों को विकसित करने, पर्यावरण संरक्षण एवं सौन्दर्यकरण की आवश्यकता है ।

5.1(3) इन्फोरमल सेक्टर के लिए आवासन/कच्ची बस्तियां –

आवास मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता है और इसके अन्तर्गत सर्वाधिक नगरीय भूमि की आवश्यकता होती है । यह प्रस्तावित किया जाता है कि नगर पालिका मंडल आवास परियोजना तैयार कर नागरिकों को आवासीय सुविधा उपलब्ध करावें और आवासीय योजना अनुमोदित होने के पश्चात भूखण्डों की बिक्री की जावेगी ताकि व्यवस्थित क्रम में नियोजित रूप से लोगो की आवास की मांग को पूरा किया जा सके । विशेषकर समाज के कमजोर वर्गों को रियायती दर पर भूखण्ड आवंटन करावें । निजी विकासकर्ताओं के लिए भी अनिवार्य रूप से योजना मानचित्र अनुमोदित कराने के पश्चात ही भूखण्डों के बिक्री के प्रावधान है ।

नगर में कच्ची बस्तियों का बसना एक निरंतर समस्या है । भविष्य में कच्ची बस्तियों के बसने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए नगर पालिका मण्डल को सुनिश्चित जिम्मेदारी तय करनी होगी । नियमित कच्ची बस्तियों में सुधार कार्यों के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जावेगा । ऐसी कच्ची बस्तियों के पुनर्विकास एवं नियमन से पूर्व वहाँ मौका स्थिति अनुसार यथा सम्भव समुचित चौडाई की सड़के उपलब्ध करानी होगी । नगर के विभिन्न भागों को एक दूसरे से सीधा जोड़ने में आड़े आ रही कच्ची बस्तियों के निवासियों को अन्य स्थान पर बसाया जाना प्रस्तावित है । ऐसी योजना बनाते समय यह प्रयास किया जावेगा कि इससे विस्थापन न्यूनतम हो तथा विस्थापितों को पुर्नवास के साथ साथ बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध करायी जानी अपेक्षित है ।

5.2 वाणिज्यिक

सांचोर का पृष्ठ क्षेत्र काफी विस्तृत है । यह वाणिज्यिक गतिविधियों का एक प्रमुख केन्द्र बना रहेगा । यह आंकलन किया गया है कि वर्ष 2031 तक नगर के विभिन्न वाणिज्यिक गतिविधियों में 5000 कार्यशील व्यक्ति नियोजित होने का अनुमान है । अतः इन वाणिज्यिक गतिविधियों को ऐसे युक्तिसंगत ढंग से बांटा जाकर प्रस्तावित किया गया है, जिससे आवासीय क्षेत्रों से वाणिज्यिक केन्द्र तक

अनुवर्ती यातायात को न्यूनतम किया जा सके । उपरोक्त विभिन्न क्रम के रूप में वाणिज्यिक केन्द्रों का विवरण निम्नानुसार है :-

तालिका – 14

प्रस्तावित वाणिज्यिक क्षेत्रों का विवरण, सांचोर – 2031

क्रम संख्या	वाणिज्यिक केन्द्र का नाम	क्षेत्रफल एकड़ में
1.	फुटकर व्यापार एवं सुविधाजनक दूकानें	26
2.	वाणिज्यिक केन्द्र	21
3.	विशिष्ट थोक बाजार भण्डारण एवं गोदाम	47
4.	योग	94

5.2 (1) खुदरा/फुटकर व्यापार एवं सुविधाजनक दूकानें

सांचोर, जालोर जिले का एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक केन्द्र है। नगर की मुख्य गतिविधियाँ पुराने नगर में केन्द्रित है, जो मुख्यतः सब्जी बाजार, बस स्टेण्ड, रानीवाड़ा, चार रास्ता, न्यू बस स्टेण्ड क्षेत्र तथा मुख्य सड़को के आस-पास संचालित है । अतः यह क्षेत्र शहरी केन्द्र के रूप में अपनी सेवाएँ प्रदान करता रहेगा तथा यह नगर का मुख्य वाणिज्यिक केन्द्र बना रहेगा तथा यहां नगर की मुख्य वाणिज्यिक गतिविधियां संचालित होती रहेगी। सांचोर के भू-उपयोग मानचित्र में विभिन्न योजना क्षेत्रों में युक्ति संगत रूप से खुदरा/फुटकर व्यापार के लिए स्थल आरक्षित किये गये है।

प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र एवं ट्रांसपोर्ट नगर के मध्य प्रस्तावित रिंग-रोड के सहारे 17 एकड़ भूमि ऑटोमोबाईल मार्केट हेतु प्रस्तावित की गई है।

5.2 (2) वाणिज्यिक केन्द्र

नगर के विस्तार के साथ-साथ वाणिज्यिक गतिविधियों और सांचोर पर पृष्ठ क्षेत्र के दबाव को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न क्षेत्रों में वाणिज्यिक केन्द्र के प्रस्ताव किये गये हैं। उत्तरी योजना क्षेत्र में प्रस्तावित मुख्य मार्ग पर लगभग 8 एकड़ भूमि, मध्य योजना क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगभग 6 एकड़ भूमि वाणिज्यिक केन्द्रों के लिए प्रस्तावित की गई है। वाणिज्यिक केन्द्रों में विभिन्न प्रकार की दुकानें, सर्विस केन्द्र, बैंक आदि स्थापित किये जाने के प्रावधान हैं। आवासीय क्षेत्र में योजना बनाते समय उस क्षेत्र की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए स्थानीय वाणिज्यिक केन्द्र उपयुक्त स्थलों पर आरक्षित किये जायेंगे।

5.2 (3) विशिष्टीकृत एवं थोक बाजार

कृषि उत्पादों के थोक व्यापार के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 पर कृषि उपज मंडी व फल एवं सब्जी मंडी विद्यमान है जहां विभिन्न प्रकार की कृषि जिन्सों व फल सब्जी का कारोबार संचालित होता है। उक्त मण्डी क्षेत्र को नियोजित रूप में विकसित करने का प्रस्ताव है।

5.2 (4) भण्डारण एवं गोदाम

नगर के वर्तमान व्यावसायिक, वाणिज्यिक एवं औद्योगिक गतिविधियों और इनमें वृद्धि की भारी संभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए वस्तुओं के रख रखाव एवं भण्डारण हेतु लगभग 22 एकड़ भूमि का प्रावधान किया गया है। उनकी स्थापना ऐसे सुविधाजनक स्थलों पर इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए की गयी कि उनमें वस्तुओं का लदान बड़े पैमाने पर होगा और उसकी वजह से भारी यातायात दबाव की सम्भावनाएँ प्रबल होंगी। परिधि नियंत्रण पट्टी में कृषि उत्पादन के भण्डारण (कोल्ड स्टोरेज आदि) अनुज्ञेय होंगे, जिसका निर्धारण आवश्यकता अनुसार मांग-पत्र के संदर्भ में नगर नियोजन विभाग द्वारा किया जा सकेगा।

5.3 औद्योगिक

उद्योगों का आर्थिक विकास एवं रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण स्थान रहता है। सांचोर, जालोर जिले का महत्वपूर्ण औद्योगिक केन्द्र है। इसे औद्योगिक केन्द्र के रूप में विकसित किये जाने की आवश्यकता है। यह नगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित होने एवं इस क्षेत्र में खनिज पदार्थों की उपलब्धता, कृषि जिनसों का उत्पादन एवं उनसे संबंधित गतिविधियों, राज्य सरकार की प्रोत्साहन वृद्धक औद्योगिक निति आदि कारणों से यहां विभिन्न प्रकार के उद्योगों की स्थापना की प्रबल संभावनाएँ हैं। इसके पश्चय क्षेत्र में जिप्सम तथा अन्य खनिजों के भण्डार है। इन पहलुओं को दृष्टिगत रखते हुए विद्यमान औद्योगिक क्षेत्र के पास औद्योगिक विस्तार हेतु भूमि प्रस्तावित की गयी है। औद्योगिक भू-उपयोग के अन्तर्गत 111 एकड़ भूमि प्रस्तावित की गई है। जो कुल प्रस्तावित विकसित क्षेत्रफल का 4.13 प्रतिशत है। रीको द्वारा औद्योगिक क्षेत्र का सम्पूर्ण विकास किया जाना एवं इसे औद्योगिक संवर्द्धन केन्द्र के रूप में विकसित किया जाना प्रस्तावित है। योजना अवधि तक औद्योगिक गतिविधियों में लगे श्रमिकों की संख्या 4000 हो जानें का अनुमान है जो कुल कार्यरत व्यक्तियों का 20 प्रतिशत है।

5.4 राजकीय

5.4 (1) सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी कार्यालय

वर्तमान में इस उपयोग के अन्तर्गत 9 एकड़ भूमि आती है। कस्बे के विभिन्न क्षेत्रों में किराये के भवनों में चल रहे सरकारी एवं अर्द्ध-सरकारी कार्यालयों को एक संगठित स्थान पर स्थानान्तरित करने एवं भविष्य में खुलने वाले सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी कार्यालयों के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 के सहारे एवं प्रस्तावित बाह्य मार्ग व विद्यमान फल एवं सब्जी मंडी के पास लगभग 20 एकड़ भूमि सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी कार्यालयों के लिए प्रस्तावित की गई है।

5.4 (2) राजकीय आरक्षित

भविष्य की आवश्यकताओं को मध्यनजर प्रस्तावित बाह्य मार्ग एवं नर्मदा केनाल के सहारे-सहारे दो स्थानों पर राजकीय आरक्षित के रूप में भूमि प्रावधानित की गई है।

इस तरह मास्टर प्लान में योजना अवधि वर्ष 2031 तक सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी कार्यालय और राजकीय आरक्षित भू-उपयोगों के अन्तर्गत कुल 71 एकड भूमि प्रावधानित है।

5.5 आमोद – प्रमोद

सार्वजनिक उद्यान, किड़ा स्थल, पार्क एवं खुली जगह लोगों के स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक है। ऐसे स्थल कस्बे में स्वच्छ एवं स्वस्थ वातावरण उपलब्ध कराने के साथ-साथ नागरिकों के मनोरंजन के लिए आवश्यक होते हैं। ऐसे स्थलों से लोगों का मनोरंजन होता है। इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए योजना में इन स्थलों का युक्ति संगत वितरण किया गया है। मास्टर प्लान की योजना अवधि वर्ष 2031 तक इस भू-उपयोग के अन्तर्गत कुल 163 एकड भूमि का प्रावधान रखा गया है।

5.5 (1) उद्यान एवं खुले स्थल

सार्वजनिक उद्यानों और खुले स्थलों का महत्व सामान्य तौर पर किसी नगर के फेफड़ों के रूप में माना जाता है, क्योंकि ये किसी सीमा तक लोगों के सामाजिक एवं भौतिक स्वास्थ्य का दिग्दर्शन करते हैं। कस्बे में नगरीय स्तर के उद्यान का अभाव है। इस कमी की पूर्ति करने हेतु शहर के उत्तरी भाग में प्रस्तावित वाणिज्यिक केन्द्र के पास तथा शहर के दक्षिणी भाग में राष्ट्रीय राजमार्ग व नर्मदा केनाल के मध्य उद्यान एवं खुले स्थल हेतु भूमि प्रस्तावित की गई है। पार्क एवं खुली जगहों के उपयुक्त स्थल भू-उपयोग योजना 2031 में दर्शाये गये हैं।

5.5 (2) स्टेडियम एवं खेल मैदान

विभिन्न खेलों एवं अन्य कार्यक्रमों के आयोजन हेतु कस्बे में स्टेडियम का अभाव है। इस कमी को दृष्टिगत रखते हुए शहरी मध्य योजना क्षेत्र में बाईपास सड़क पर 7 एकड़ भूमि स्टेडियम हेतु प्रस्तावित की गई है। इसके अतिरिक्त नगर के विभिन्न भागों में खेल मैदान एवं खुले स्थल आरक्षित किये गये हैं।

5.5 (3) अर्द्ध सार्वजनिक मनोरंजन

स्वास्थ्यवर्धक जीवन के लिए मनोरंजन बहुत आवश्यक है। नगरवासियों को स्वस्थ मनोरंजन उपलब्ध हो, इसके लिए अर्द्ध सार्वजनिक मनोरंजन की दृष्टि से मास्टर प्लान योजना में प्रावधान है। इस हेतु पहाड़पुरा सड़क एवं प्रस्तावित रिंग रोड़ के सहारे जल उद्यान हेतु लगभग 6 एकड़ भूमि प्रस्तावित की गई है।

5.5 (4) मेला स्थल एवं पर्यटन सुविधाएँ

सांचोर में औद्योगिक क्षेत्र के पास विद्यमान पशु मेला स्थल का विस्तार किया गया है। इस पशु मेला स्थल का कुल क्षेत्रफल 137 एकड़ होगा। इस मेले के महत्व को देखते हुए इसका नियोजित विकास एवं जगह-जगह वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त प्रतापपुरा में पीर की झाल का मेला, गोलासन में गोलासन हुनमान मंदिर मेला तथा सिद्धेश्वर में सती दक्षिणी मेला स्थलों का विकास किया जाना प्रस्तावित है। पर्यावरण संरक्षण के लिए इन स्थलों के आस-पास वृक्षारोपण किया जाना अपेक्षित है। बोरला तालाब को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाना प्रस्तावित है।

5.6 सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक

योजनाओं के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सार्वजनिक सुविधाओं जैसे : शैक्षणिक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य और अर्द्ध सार्वजनिक एवं जनोपयोगी सुविधाओं

आदि को विभिन्न स्तरों में उपलब्ध कराना आवश्यक है । आवासीय घनत्व, क्षेत्र विशेष की प्रकृति, भविष्य में विस्तार की सम्भावना व भूमि की उपलब्धता आदि को ध्यान में रखते हुए योजना में इन सुविधाओं का युक्तिसंगत वितरण किया गया है ।

वर्तमान में इस उपयोग के अन्तर्गत 159 एकड़ भूमि आती है, जो कस्बे के विद्यमान कुल विकसित क्षेत्रफल का 16.17 प्रतिशत है । योजना अवधि तक इस उपयोग के अन्तर्गत 264 एकड़ भूमि आयेगी जो कि कुल प्रस्तावित विकसित क्षेत्रफल का 9.82 प्रतिशत है ।

5.6 (1) शैक्षणिक

मानव सभ्यता के विकास में शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान है । अतः नगर की भावी शैक्षणिक आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए नगरीयकरण योग्य क्षेत्र में पर्याप्त भूमि प्रस्तावित की गयी है । उत्तरी योजना क्षेत्र में प्रस्तावित बाह्य मार्ग पर 10 एकड़ और बड़सम मार्ग एवं प्रस्तावित बाह्य मार्ग के सहारे 31 एकड़ भूमि महाविद्यालय हेतु प्रस्तावित की गई हैं। हाड़ेचा सड़क के पूर्व दिशा में उप प्रमुख पर 3 एकड़ भूमि सिनियर सैकण्ड्री स्कूल हेतु प्रस्तावित की गई है। इसी तरह नगर के विभिन्न योजना क्षेत्रों में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय हेतु भूमि आरक्षित की गई है। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए स्थलों का चयन आवासीय क्षेत्रों की विस्तृत योजना बनाते समय आवश्यकतानुसार किया जावेगा । राज्य सरकार द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा तथा अभिभावकों में शिक्षा के महत्व के प्रति जागृति से विद्यार्थियों की संख्या बढ़ेगी । निम्नलिखित तालिका में वर्ष 2031 तक शैक्षणिक संरचना को दर्शाया गया है :-

तालिका संख्या :- 15

शैक्षणिक संरचना, सांचोर – 2031

क्र. संख्या	विद्यालय स्तर	आयु वर्ग	कुल जनसंख्या से विद्यालय आयु वर्ग के विद्यार्थियों का प्रतिशत	विद्यालय जाने योग्य विद्यार्थियों की अनुमानित संख्या	आवश्यक अनुमानित विद्यालयों की संख्या
1	प्राथमिक विद्यालय	3-10	20	13,000	50
2	उच्च प्राथमिक विद्यालय	11-13	9	5850	30
3	माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय	14-17	11	7150	20

5.6 (2) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

वर्तमान में उपलब्ध स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधा पर्याप्त एवं सुविधायुक्त है । भविष्य की आवश्यकता को मद्देनजर विद्यमान राजकीय सामान्य चिकित्सालय परिसर में जगह के आभाव के कारण इसका विस्तार नहीं किया जा सकता है । इस समस्या के निराकरण हेतु दक्षिणी योजना क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगभग 18 एकड़ भूमि चिकित्सालय हेतु प्रस्तावित की गई है तथा नगर के विभिन्न क्षेत्रों में चिकित्सा केन्द्रों हेतु युक्तिसंगत स्थल प्रस्तावित किये गये हैं । नगर के दक्षिणी भाग में पशु मेला स्थल के समीप पशु चिकित्सालय के लिए लगभग 4 एकड़ भूमि प्रस्तावित की गई है ।

5.6 (3) सामाजिक/सांस्कृतिक/धार्मिक/ऐतिहासिक एवं धरोहर स्थल –

सांचोर में सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन राजकीय माध्यमिक स्कूल के मैदान में होते हैं । विभिन्न क्षेत्रों में सामाजिक एवं सांस्कृतिक

गतिविधियों के आयोजन हेतु सामुदायिक भवन, क्लब, ऑडिटेरियम बनाये जाने का मास्टर प्लान में प्रावधान है । सांचोर में विद्यमान धार्मिक, ऐतिहासिक एवं धरोहर स्थलों के रख रखाव एवं संरक्षण पर यथोचित ध्यान दिया जाना अपेक्षित है ।

5.6 (4) अन्य सामुदायिक सुविधाएँ

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा शैक्षणिक सुविधाओं के अतिरिक्त अन्य सामुदायिक सुविधाएँ जैसे डाक एवं तारघर, दूर संचार केन्द्र, दूरभाष केन्द्र, अग्निशमन सेवा केन्द्र, वाचनालय एवं पुस्तकालय, क्लब, पुलिस स्टेशन, सामुदायिक भवन तथा युवा केन्द्र आदि के लिए योजना क्षेत्रों में उपयुक्त स्थलों का प्रावधान किया गया है ताकि आवश्यकतानुसार इन स्थलों को विकसित किया जा सके ।

5.6 (5) जनोपयोगी सुविधाएँ

नगर में जलापूर्ति, मल-जल निकासी, बिजली एवं सीवरेज व्यवस्था नगर की मूलभूत आवश्यकताएँ हैं । नगर में उत्तरोत्तर बढ़ती हुई जनसंख्या की वजह से इन सेवाओं पर अत्यधिक भार बढ़ गया है । समुचित जलापूर्ति, विद्युत आपूर्ति करने हेतु सम्बन्धित विभागों द्वारा विस्तृत योजना तैयार की जायेगी । राष्ट्रीय राजमार्ग से पूर्व दिशा की ओर प्रस्तावित मुख्यमार्ग पर जनोपयोगी सुविधा के लिए स्थल प्रस्तावित किया गया है। इसके अतिरिक्त विभिन्न स्थानों पर भी जनोपयोगी सुविधाओं के लिए स्थल आरक्षित किये गये हैं ।

5.6 (5) अ. जलापूर्ति

नगर में वर्तमान में प्रतिदिन 2000 के.एल.डी. जलापूर्ति की जा रही है, जो मांग के अनुरूप नहीं है । योजना अवधि तक लगभग 28000 अतिरिक्त जनसंख्या के लिए जलापूर्ति हेतु और नये जल स्रोत विकसित करने होंगे । वर्ष 2031 तक की सम्भावित आबादी के लिए पेयजल की समुचित व्यवस्था की जानी प्रस्तावित

है । भू-उपयोग योजना 2031 में उच्च जलाशय, सी.डब्ल्यू.आर., पम्पिंग स्टेशन आदि स्थलों को जनोपयोगी स्थलों के रूप में दर्शाया गया है ।

5.6 (5) ब. विद्युत आपूर्ति

कस्बे की जनसंख्या तथा आर्थिक क्रियाओं में वृद्धि होने के साथ-साथ विभिन्न योजना क्षेत्रों में उर्जा की मांग भी बढ़ेगी । सांचोर में मुख्य रूप से कृषि एवं औद्योगिक विस्तार की प्रबल सम्भावना के कारण विद्युत की खपत अधिक होगी। वर्तमान में कस्बे में की जा रही विद्युत आपूर्ति मांग के अनुरूप नहीं है। भविष्य में विद्युत आपूर्ति बढ़ाने हेतु जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि. प्रयासरत है, जिससे मांग व पूर्ति में अन्तर समाप्त हो सकेगा।

5.6 (स) मल-जल एवं ठोस कचरा निस्तारण प्रबन्धन

मल-जल व्यवस्था भौतिक अवसरंचना का मुख्य तत्व है। जो किसी नगर/शहर की पर्यावरण स्थिति का निर्धारण करता है। समुचित शोधन वाली मल-जल निकास प्रणाली मुख्य तत्व है, जो संतुलित एवं सुव्यवस्थित विकास के लिए आवश्यक है। कस्बे में सीवरेज व्यवस्था नहीं होने से मल-जल का निस्तारण खुली नालियों के जरिये होता है।

सांचोर नगर में मल-जल व्यवस्था की प्रणाली बिछाने तथा उसके शोधन के लिए सम्बन्धीत संस्था/विभाग द्वारा विस्तृत योजना तैयार करनी चाहिये। ठोस कचरा प्रबन्धन की दृष्टि से सेनेटरी लैण्डफिल साईट के लिए शहर से दूर रानीवाडा मार्ग पर खसरा नम्बर 1371 एवं 1372 में 72 हैक्टर भूमि चिन्हित है।

5.6 (द) श्मशान एवं कब्रिस्तान

कस्बे के विभिन्न भागों में विद्यमान श्मशान/कब्रिस्तान यथावत बने रहेंगे। भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर नये स्थल परिधि नियन्त्रण क्षेत्र में अनुज्ञेय किये जा

सकेंगे । विद्यमान श्मशान एवं कब्रिस्तान स्थलों में यथा स्थानों पर वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है ।

5.7 परिसंचरण

5.7 (1) प्रस्तावित यातायात संरचना

एक सुदृढ़ परिसंचरण प्रणाली शहर की आर्थिक संवृद्धि एवं सामाजिक प्रगति की द्योतक होती है । विगत वर्षों में यहाँ विभिन्न क्षेत्रों में विकास से परिसंचरण क्षेत्र को एक उत्प्रेरक गति मिली है तथा भविष्य में भी यह विशेषता बनी रहेगी । सांचोर अपने पृष्ठ क्षेत्र में प्रमुख सेवा केन्द्र की भूमिका अदा करता रहेगा और यहाँ पर उद्योग एवं व्यापार के क्षेत्र में तीव्र विकास होगा । अतः कस्बे में वस्तुओं एवं यात्रियों के परिवहन एवं आवागमन हेतु एक कुशल परिसंचरण व्यवस्था होनी चाहिए ।

सड़क, परिवहन साधनों का एक महत्वपूर्ण अंग है, सांचोर मास्टर प्लान में यातायात योजना को भू-उपयोग योजना में सम्पर्क भाग के रूप में दर्शाया गया है । वर्तमान में इस उपयोग के अन्तर्गत 247 एकड़ क्षेत्र आता है जो कस्बे के विकसित क्षेत्रफल का 25.13 प्रतिशत है । योजना अवधि तक इस उपयोग के अन्तर्गत 599 एकड़ भूमि आयेगी जो प्रस्तावित विकसित क्षेत्रफल का 22.31 प्रतिशत है । कस्बे के नगरीयकरण क्षेत्र में प्रस्तावित किये गये कार्य केन्द्रों, वाणिज्यिक केन्द्रों एवं आवासीय क्षेत्रों के बीच सीधा सम्पर्क स्थापित करने, सुगम आवागमन, सुरक्षित यात्री परिवहन एवं माल परिवहन हेतु योजना में श्रृंखलाबद्ध सड़कें प्रस्तावित की गयी हैं । जो जनसाधारण के लिए सुविधाजनक होगी, इससे सांचोर में यातायात सुरक्षित, सुगम, समुचित गति से निर्बाध रूप से संचालित हो सकेगा । शहर के चारों ओर के बाह्य मार्ग/रिंग रोड़ प्रस्तावित किया गया है जो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 से धानता, लाछड़ी, रानीवाड़ा, जाजुसण, बड़सम, माखुपुरा, धनेरा, सड़कों को मिलाती हुई पुनः उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग को संपर्कित करते हुए सांचौर लिफ्ट केनाल, डोलिया, पहाड़पुरा, अगार, डबाल, हाडेचा ग्रामों की सड़कों

को सम्पर्कित करते पुनः हुए राष्ट्रीय राजमार्ग में मिलेगी। जिसका मार्गाधिकार बाह्य का 200 फीट व रिंग रोड़ का 120 फीट चौड़ा रखा गया है। रिंग रोड़ विभिन्न गांवों के बाई-पास के रूप में भी उपयोगी होने के साथ-साथ सम्पूर्ण नगरीयकरण क्षेत्र के विभिन्न भागों को एक-दूसरे से जोड़ने में भी महत्वपूर्ण साबित होगी। प्रस्तावित बाह्य मार्ग राष्ट्रीय मार्ग संख्या 15 के बाह्य मार्ग के रूप में भी महत्वपूर्ण होगा। शहर के दक्षिणी क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग से एक उपप्रमुख मार्ग पूर्व व पश्चिमी दिशा की ओर प्रस्तावित किया गया है, जिससे बड़सम सड़क से कस्बा के विभिन्न भागों का सीधा सम्पर्क हो सकेगा। इसका मार्गाधिकार 100 चौड़ा होगा। इसी तरह प्रस्तावित रिंग रोड़ से औद्योगिक क्षेत्र के उत्तरी सीमा से होते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग को लिंक करते हुए सांचोर लिफ्ट केनाल तक सड़क प्रस्तावित की गई है। इसके अतिरिक्त सरल एवं सुगम यातायात के लिए नगर के विभिन्न भागों में बेहतर सड़क प्रतिरूप प्रस्तावित किये गये हैं। जिससे शहर को एक विस्तृत रोड़ नेटवर्क उपलब्ध होगा। सीमावर्ती गांवों को शहर की मुख्य सड़कों से भली-भाँति निर्धारित मार्गाधिकार में जोड़ा जाना प्रस्तावित है। विभिन्न प्रकार की सड़कों का मार्गाधिकार तालिकाओं में दर्शाया गया है।

5.7 (1) अ. आन्तरिक सड़कें व मार्गाधिकार

नगर में यातायात को सुगम व सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से सड़कों का वर्गीकरण क्रमशः राष्ट्रीय राजमार्ग/बाह्य मार्ग 200 फीट, प्रमुख सड़कें 120 फीट, उप प्रमुख सड़कें 100 फीट, मुख्य सड़कें 80 फीट चौड़ी प्रस्तावित की गयी है। राष्ट्रीय राजमार्ग एवं बाह्य मार्ग तथा विभिन्न श्रेणी की सड़कों के मार्गाधिकार को निम्न वर्णित तालिका में दर्शाया गया है।

तालिका-16

मार्गों की प्रस्तावित मानक चौड़ाई – सांचोर – 2031

क्रम संख्या	सड़क का प्रकार	मार्गाधिकार (फीटो में न्यूनतम)
1.	राष्ट्रीय राजमार्ग एवं बाह्य मार्ग	200
2.	प्रमुख मार्ग (आर्टियल रोड़)	120
3.	उप प्रमुख मार्ग (सब आर्टियल रोड़)	100
4.	मुख्य मार्ग (मेजर रोड़)	80
5.	अन्य मार्ग (अदर रोड्स)	60

तालिका-17

सड़कों का प्रस्तावित मार्गाधिकार – सांचोर – 2031

क्रम संख्या	सड़क का प्रकार	मार्गाधिकार (फीटो में न्यूनतम)
1.	राष्ट्रीय राजमार्ग/बाह्य मार्ग एवं राज्य राजमार्ग	200
2.	धानता सड़क	100
3.	लाछड़ी सड़क	100
4.	रानीवाड़ा सड़क	200
5.	जाजूसण सड़क	100
6.	बड़सम सड़क	100
7.	धानेरा सड़क	120
8.	डोलिया सड़क	100
9.	अगार सड़क	100
10.	पहाड़पुरा सड़क	120
11.	डबाल सड़क	100
12.	हाडेचा सड़क	120

5.7 (1) ब. सड़कों का चौड़ा करना एवं उनका सुधार

विभाग द्वारा यह नीति निर्धारित की गई है कि सभी वर्तमान सार्वजनिक मार्ग, जिन्हें प्रमुख, उप प्रमुख और मुख्य सड़कों के रूप में भू-उपयोग योजना में प्रस्तावित किया गया है, जहां तक सम्भव हो मानक चौड़ाई के होंगे, किन्तु शहर के भीतरी स्थानों पर कतिपय बाधाओं के कारण तथा शहर के बीच सड़कें चौड़ी की जाना सम्भव नहीं है या सड़कें चौड़ी करने में भारी निवेश करना पड़े और अधिक संख्या में इमारतों को तोड़ना पड़े तो अपेक्षाकृत निम्न मानक को अपनाया जा सकता है। यह सुनिश्चित किया जावे कि भविष्य में किये जाने वाले समस्त विकास कार्य प्रस्तावित भू-उपयोग एवं निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप हो। जहां तक आवश्यक हो शहर के महत्वपूर्ण चौराहों एवं महत्वपूर्ण सड़कों की विस्तृत कार्य योजनाएं बनाकर उनके अनुसार ही विकास कार्य किये जाने चाहिए।

राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्ग / प्रमुख बाह्य मार्ग, जिनका मार्गाधिकार 60 मीटर अथवा सक्षम अधिकारी द्वारा जो भी निर्धारित किया जावे, के दोनों ओर सड़क के मध्य से 20 मीटर मार्गाधिकार की दूरी रखते हुए, 5 मीटर चौड़ी सर्विस रोड़ रखी जावेगी। इस सर्विस रोड़ के बाहर की तरफ दोनों ओर विद्युतीकरण एवं हरियाली के लिए 4.5 मीटर अथवा मार्गाधिकार की समुचित चौड़ाई के अनुपात में अतिरिक्त क्षेत्र छोड़ा जायेगा। नगरीयकरण योग्य क्षेत्र के बाहर सभी राजमार्गों/ बाह्य मार्गों के सहारे सभी विकास-कर्ताओं द्वारा उपरोक्त मार्गों के मार्गाधिकार के पश्चात् 75 फीट चौड़ी पट्टी सघन वृक्षा रोपण हेतु छोड़नी होगी तथा इस पट्टी के बाद समस्त अनुज्ञेय विकास कार्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्वीकृति के पश्चात् ही किये जा सकेंगे।

राष्ट्रीय राजमार्ग/बाह्य मार्गों के साथ-साथ परिधि नियंत्रण पट्टी में वे समस्त भू-उपयोग आ सकेंगे, जो परिधि नियंत्रण पट्टी में अनुज्ञेय हैं तथा परिधि नियंत्रण पट्टी में अन्य भू-उपयोग जैसे कि ग्रामीण विकास विभाग द्वारा स्थापित राजमार्ग सेवा केन्द्र, पेट्रोल पम्प, ग्रामीण आबादी के विस्तार, मोटल, कुक्कुट शालाएँ फलौद्यान, पौधशाला, एम्यूजमेंट पार्क, वॉटर पार्क, गौशाला, कृषि सेवा केन्द्र तथा

कृषि आधारित लघु उद्योग भी सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित मापदण्ड अनुमोदित सैट बेक के साथ स्वीकृत किये जा सकेंगे।

आर्टिरियल रोड़, सब आर्टीयल रोड़, मुख्य सड़कों की चौड़ाई के मापदण्ड भू-उपयोग योजना मानचित्र 2031 में दर्शाये अनुसार होंगे। ऐसे स्थानों पर जहां सड़कों को चौड़ा करना सम्भव नहीं है, ऐसी स्थिति में निम्न स्तर का मापदण्ड अपनाया जा सकेगा। कस्बे के भीतरी क्षेत्रों की सड़कें सँकड़ी होने से वहाँ भीड़-भाड़ रहती है तथा सुगम आवागमन में दिक्कत आती है। सड़क सीमा में हुए अतिक्रमणों को हटा कर उन्हें चौड़ा किया जायेगा। यह प्रस्तावित किया गया है कि जहाँ भी आवश्यक हो सड़क अन्तः परिच्छेदों, त्वंक प्दजमत, मबजपवदद्ध तथा यातायात धुणियों, ज्तांप्पिब त्वंजंतपमेद्ध की पुनः अभिकल्पना की जावें ऐसे समस्त प्रस्ताव यातायात प्रबलता, ज्तांप्पिब टवसनउमद्ध एवं संचालन पेटर्न पर आधारित होंगे। विभिन्न मार्गों का सुदृढिकरण एवं चौड़ा करने का कार्य एक व्यवस्थित, सुरक्षित एवं सुगम यातायात प्रणाली के लिए आवश्यक है।

5.7 (1) स. चौराहों का विकास

नगर में यातायात के सुरक्षात्मक एवं निर्बाद रूप से संचालन में जो बाधाएं आती हैं उनमें चौराहों के अनुचित आकार / डिजायन प्रमुख हैं। अतः विद्यमान / प्रस्तावित चौराहों / जंक्शनों का विकास एवं निर्माण विस्तृत योजना बनाकर किया जाना प्रस्तावित है। यातायात अध्ययनों / नियमों के तहत सुदृढ यातायात प्रणाली को दृष्टिगत रखते हुए उचित डिजाइन / आकार में चौराहों का निर्माण, विकास एवं सौंदर्यकरण किया जाना अपेक्षित है।

5.7 (1) द. पार्किंग व्यवस्था

सांचोर में बढ़ते हुए वाहनों के कारण यातायात समस्याएँ उत्पन्न हो गयी हैं। आवागमन के अतिरिक्त वाहनों की पार्किंग की समस्या दिन प्रतिदिन गम्भीर रूप लेती जा रही है। नगर के पुराने आबादी क्षेत्रों / व्यावसायिक केन्द्रों में यह एक

विकट समस्या है । अतः यह प्रस्तावित किया गया है कि इन क्षेत्रों में जहाँ भी खुले स्थल/खाँचा भूमि उपलब्ध है, उन्हें चिन्हित कर पार्किंग के रूप में विकसित किया जाना चाहिए । नये व्यावसायिक केन्द्रों की विस्तृत योजनाएँ तैयार करते समय उनमें पर्याप्त पार्किंग का प्रावधान किया जावेगा । ट्रांसपोर्ट नगर, कृषि उपजमण्डी समिति, फल एवं सब्जी मण्डी, वेयर हाउसिंग गोडाउन्स के लिए प्रस्तावित स्थलों में उचित पार्किंग स्थलों का प्रावधान किया जावेगा ।

5.7 (2) बस स्टेण्ड एवं यातायात नगर

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों का संचालन राष्ट्रीय राज मार्ग स्थित बस स्टेण्ड से किया जाता है । वर्तमान में निजी बसों के संचालन हेतु उपयुक्त बस स्टेण्ड का अभाव है । इन समस्याओं के निराकरण हेतु बड़सम सड़क एवं राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगभग 8 एकड़ भूमि प्रस्तावित की गई है । वर्तमान में ट्रांसपोर्ट कम्पनियों नगर के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित है । इन ट्रांसपोर्ट कम्पनियों द्वारा ट्रकों में माल लदान का कार्य मुख्य सड़कों के सहारे-सहारे होने से यातायात व्यवस्था में व्यवधान होता है । इस व्यावसाय को व्यवस्थित स्थान से संचालन हेतु औद्योगिक क्षेत्र एवं ऑटोमोबाईल मार्केट के पास प्रस्तावित रिंग रोड पर यातायात नगर विकसित किये जाने के लिए लगभग 20 एकड़ भूमि प्रस्तावित की गयी है ।

5.7 (3) रेल एवं हवाई सेवा

वर्तमान में नगर रेल मार्ग से संपर्कित नहीं है । यहां का नजदीकी रेलवे स्टेशन रानीवाड़ा है जो लगभग 45 कि.मी. दूरी पर स्थित है । ये रेलवे लाईन अहमदाबाद को जोड़ती है । यहां हेली पेड की सुविधा उपलब्ध है जिसका विस्तार किया गया है ।

5.8 परिधि नियन्त्रण पट्टी

परिधि नियन्त्रण पट्टी में सम्भावित, अवांछित विकास नियन्त्रण करने तथा नगरीयकरण योग्य क्षेत्र में ही नगरीय विकास को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से परिधि नियन्त्रण पट्टी प्रस्तावित की गयी है । परिधि नियन्त्रण पट्टी के अन्दर स्थित ग्रामों को नियोजित ढंग से विकसित करना होगा । महत्वपूर्ण ग्रामीण आबादी क्षेत्रों का विकास एवं विस्तार सम्बन्धित ग्राम पंचायत के प्रस्ताव को दृष्टिगत रखते हुए किया जायेगा । इसी क्षेत्र में कृषि, डेयरी, कुक्कुटशाला, फल-सब्जी उगाना, नर्सरी आदि व्यवसायों को प्रोत्साहित किया जाकर विकसित करना अनुज्ञेय होगा । इस व्यवस्था से ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी तथा ग्रामिणों का नगर की ओर पलायन कम होगा ।

5.8 (1) ग्रामीण आबादी क्षेत्र

परिधि नियन्त्रण पट्टी के अन्दर, किन्तु प्रस्तावित नगरीयकरण योग्य क्षेत्र के बाहर स्थित गांवों का विकास ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत ही किया जायेगा। गांवों का प्राकृतिक आबादी का विस्तार नियोजित रूप से बढ़ने दिया जायेगा, ताकि सुव्यवस्थित ढंग से ग्राम की आबादी का विस्तार हो सके। इस संबंध में यह तथ्य अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं गम्भीर चिंतन का है कि यदि नियोजित ढंग से विस्तार का प्रावधान नहीं किया जाता है तो इस बात की पूरी सम्भावना है कि ग्रामीण आंचलों में अविवेकपूर्ण ढंग से निर्माण करने के प्रति जनता की प्रवृत्ति रहेगी, जिससे न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध निर्माण की समस्या उत्पन्न होगी वरन् यह प्रवृत्ति नगरीय क्षेत्र के बाहर के इलाकों में मानकच्युत एवं यदृच्छ नगरीय विकास को जन्म देगी जिसके परिणामस्वरूप नियोजित नगरीय विकास का सम्पूर्ण उद्देश्य ही अर्थहीन बनकर रह जायेगा। अतः ग्रामीण आबादी विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए इन गांवों का नियोजित ढंग से विस्तार एवं विकास किया जावेगा।

5.8 (2) पर्यावरण संरक्षण एवं वृक्षारोपण

पर्यावरण प्रदूषण एक व्यापक समस्या है। यह मानवजाति के लिए एक संवेदनशील मुद्दा है। पर्यावरण प्रदूषण से ओजोन परत कमजोर हो गई है। जिससे ग्लोबल वार्मिंग अर्थात् धरती का तापमान लगातार बढ़ रहा है।

प्राकृतिक संसाधनों का अन्धाधुंध दोहन यथा वृक्षों की कटाई, अत्यधिक भू-जल दोहन, जनसंख्या में निरन्तर वृद्धि से कृषि जोत में कमी आदि से पर्यावरण प्रदूषण की समस्या विकराल रूप धारण करती जा रही है और भीषण गर्मी, अकाल, बाढ़ आदि प्राकृतिक प्रकोप बढ़ रहे हैं।

वृक्ष प्राण वायु के भण्डार हैं। अतएव पर्यावरण संतुलन एवं छाया की दृष्टि से प्रस्तावित बाह्य मार्ग, रिंग रोड़ व सांचोर लिफ्ट केनाल के सहारे-सहारे वृक्षारोपण के लिए पट्टी रखे जाने का प्रावधान किया गया है, जिसमें सघन वृक्षारोपण सम्बन्धी कार्यवाही की जावेगी। उपरोक्त के अलावा प्रमुख सड़कों के सहारे सहारे भी वृक्षारोपण की कार्यवाही की जावेगी। राजकीय कार्यालयों, विद्यालयों, चिकित्सालयों व न्यायालय परिसरों में, औद्योगिक क्षेत्र, श्मशान भूमि, ओरण, गोचर, वन भूमि आदि क्षेत्रों में वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है। पर्यावरण संरक्षण के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए समन्वित प्रयासों और प्रत्येक नागरीक को सह-भागीदारी के लिए प्रोत्साहित किया जावे।

6

योजना का कार्यान्वयन

6. योजना का कार्यान्वयन

सांचोर की योजना तैयार करने मात्र से ही योजनाबद्ध प्रक्रिया समाप्त नहीं हो जाती है। वास्तव में यह तो निरन्तर जारी रहने वाली प्रक्रिया है तथा नगर के सुनियोजित विकास के प्रयास का प्रथम चरण मात्र है। योजना को मूर्तरूप करने का सबसे सही उपाय यही है कि इसे पूर्ण दृढ़ता एवं क्षमता के साथ कार्य रूप में परिणित किया जाये।

अधिकांश योजनाओं की असफलता का कारण यह नहीं रहा कि वे अव्यवहारिक थी, अपितु एक प्रमुख मुख्य कारण यह रहा कि, अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने से पूर्व इसे दृढ़ इच्छा शक्ति से लागू करने हेतु कोई विशेष प्रयास नहीं किये गये। योजना क्रियान्वयन योजना को कार्य रूप में रूपान्तरित करता है।

इस दृष्टि से निर्णायक और विकास दोनों ही प्रकार की क्रियाओं की आवश्यकता होती है। समुचित कानूनी प्रावधानों, प्रशासनिक संगठन, तकनीकी मार्गदर्शक और वित्तीय संसाधनों के साथ-साथ नागरिकों की सक्रिय साझेदारी और सहयोग पर ही योजना की सफलता या असफलता निर्भर करती है। अतः हम सभी का यह परम दायित्व है कि, सांचोर नगर को अधिक आकर्षक बनाने की दिशा में परस्पर सहयोग एवं लगन की भावना के साथ कार्य करें।

6.1 वर्तमान आधार :

सांचोर नगरपालिका का गठन राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अंतर्गत किया गया है। इस अधिनियम के तहत स्थानीय निकायों द्वारा नगरपालिका सीमा में विकास कार्य कराये जाने के प्रावधान है।

6.2 प्रस्तावित आधार :

सांचोर नगर की प्रस्तावित योजना के कार्यान्वयन का दायित्व नगर पालिका, सांचोर का रहेगा । योजना लागू होने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा

अनुमोदित योजना की एक प्रति सम्बन्धित निकाय को भेजी जायेगी । इस प्रकार स्थानीय निकाय उक्त अनुमोदित योजना की प्रति प्राप्त होने के पश्चात् कम से कम दो स्थानीय समाचार पत्रों में सार्वजनिक सूचना प्रसारित करेंगे कि सांचोर के नगरीय क्षेत्र में विकास कार्य उक्त अनुमोदित योजना के अनुसार ही किये जावेंगे । इस सार्वजनिक सूचना की प्रतिलिपि सम्बन्धित निकाय द्वारा राज्य एवं केन्द्र सरकार के समस्त विभागीय कार्यालयों को सूचनार्थ भेजी जावेगी । अनुमोदित योजना (मास्टर प्लान) की प्रतियाँ नगर के प्रमुख स्थलों यथा सूचना केन्द्र, जिला कलक्टर कार्यालय एवं नगर पालिका बोर्ड में आम जनता के अवलोकनार्थ उपलब्ध रहेगी । आम जनता उक्त मास्टर प्लान की प्रति मय मानचित्रों सहित कार्यालय नगर पालिका, सांचोर से निर्धारित शुल्क पर क्रय कर सकेगी ।

नगर पालिका, सांचोर मास्टर प्लान के प्रस्तावों के अनुरूप इसके सफल क्रयान्वयन हेतु नगर नियोजन विभाग के सहयोग से विस्तृत प्लान तैयार करेंगी । जलापूर्ति एवं मल-जल निकास की योजना जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग या नगर पालिका द्वारा तैयार की जायेगी तथा शहर यातायात प्रबन्ध व सड़क विकास योजना नगर नियोजन विभाग एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग के परामर्श से तैयार की जायेगी । नगर पालिका, सांचोर मास्टर प्लान के अनुसार नगर नियोजन विभाग से परामर्श कर योजनाएँ तैयार कर उनकी क्रयान्वयन की कार्यवाही करेगी । नगरीय क्षेत्र में मास्टर प्लान योजनाओं के क्रयान्वयन का दायित्व नगर पालिका का है ।

6.3 जन सहभागिता एवं जन सहयोग :

नगर का विकास अंतः लोगों की आशाओं एवं प्रेरणाओं पर निर्भर करता है, मास्टर प्लान में निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये वहाँ की जनता का पूर्ण सक्रिय सहयोग आवश्यक है । नगर की जनता मास्टर प्लान में प्रस्तावित कार्यक्रमों को लागू करने में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करें ।

6.4 भू-उपयोग अंकन एवं भूमि अवाप्ति :

सांचोर के मास्टर प्लान में प्रस्तावित भू-उपयोगों का निर्धारण सरकारी भूमि की उपलब्धता, खाली एवं विकास योग्य भूमि इत्यादि पहलुओं को दृष्टिगत रखते हुए किया गया है । मास्टर प्लान बनाते समय पूर्व में जारी की गयी स्वीकृतियाँ/अनुमोदन (Commitments) को नगरीय क्षेत्र के लिए तैयार किये गये योजना 2031 में समायोजित किये जाने का पूर्ण प्रयास किया गया है। सहवन से सक्षम अधिकारी द्वारा पूर्व में जारीकीर गई किसी स्वीकृति यथा 90-बी के आदेश, आवंटन, भूमि रूपान्तरण व नियमन भू-उपयोग परिवर्तन, अनुमोदित योजना, भवन निर्माण स्वीकृती आदि का समायोजन नहीं हो पाया हो तो उन्हे समायोजित माना जावेगा ।

मानचित्र में नदी, नाले, तालाब, भराव क्षेत्र जलाशय, डूब क्षेत्र, जल प्रवाह क्षेत्र आदि की स्थिति का अंकन प्रचलित पद्धति से करने का प्रयास किया गया है तथापि यदि सहवन से किसी का अंकन नहीं हो पाया हो तो भी उनकी वास्तविक स्थिति राजस्व रेकार्ड के अनुसार ही मान्य होगी । इन नदी, नाले, जलाशयों इत्यादी में किसी भी प्रकार का विकास/निर्माण/नियमन/रूपान्तरण नहीं होगा, चाहे उनमें जल भरा हो या वे सूख गये हो। कार्यान्वयन से पूर्व उक्त कार्यवाही स्थानीय निकाय के प्राधिकृत अधिकारी के स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी ।

प्रस्तावित जन सुविधाओं यथा-शिक्षा, चिकित्सा, सड़कें, खुले स्थल एवं जन उपयोगी सुविधाओं के विकास बाबत भूमि अवाप्त की जाये, जिससे नगर के सुनियोजित विकास का मार्ग प्रशस्त हो सके ।

6.5 उपसंहार :

मास्टर प्लान भावी विकास की तस्वीर मात्र ही है, जिसकी सफलता तभी प्राप्त की जा सकती है, जबकि इसमें प्रस्तावित कार्यक्रमों को कार्य रूप में परिणित किया जाये। इस योजना में आगामी वर्षों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये ठोस कार्यक्रम भी सम्मिलित होते हैं। सांचोर का मास्टर प्लान तैयार करते

समय एक विवेक सम्मत एवं व्यवहारिक दृष्टिकोण को आधार बनाया गया है, यथा सामान्य स्तर की सुविधाओं और सेवाओं का पर्याप्त प्रावधान रखा गया है। नगर में नयी सुविधाएँ विकसित करके, सार्वजनिक सुविधाओं में अभिवृद्धि करके और सांचोर को आवास की दृष्टि से स्वास्थ्यवर्धक बनाने की स्पष्ट आकांक्षाओं से प्रेरित होकर ही इस योजना को तैयार किया गया है।

परिशिष्ट

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 के उद्धरण

अध्याय – 2

मास्टर प्लान

3. राज्य सरकार को मास्टर प्लान तैयार करने के आदेश करने की शक्ति—

1. राज्य सरकार आदेश द्वारा यह निर्देश दे सकेगी कि राज्य में ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा जिसे राज्य सरकार इस प्रयोजनार्थ नियुक्त करे, आदेश में विनिर्दिष्ट किसी नगरीय क्षेत्र के सम्बन्ध में तथा उसका नागरिक सर्वेक्षण किया जायेगा तथा मास्टर प्लान तैयार किया जायेगा।
2. मास्टर प्लान तैयार करने के सम्बन्ध में उपधारा (1) के अधीन नियुक्त अधिकारी या प्राधिकारी को सलाह देने के लिए राज्य सरकार एक सलाहकार परिषद का गठन कर सकेगी जिसमें एक अध्यक्ष और अन्य सदस्य होंगे जितने राज्य सरकार उचित समझे।

4. मास्टर प्लान की अन्तर्वस्तु

- (क) मास्टर प्लान में वे विभिन्न जोन परिनिश्चित किये जायेगे उस नगरीय क्षेत्र को, जिसके लिए मास्टर प्लान बनाया गया है, सुधार के प्रयोजनार्थ विभाजित किया जाय तथा वह रीति उपदर्शित की जायेगी जिसमें प्रत्येक जोन की भूमि का उपयोग किये जाने का प्रस्ताव है, और
- (ख) उस ढाँचे के जिसमें विभिन्न जोनों की सुधार स्कीमस् तैयार की जाये, आधारभूत पैटर्न के रूप में काम आयेगा।

5. अनुसरण की जाने की प्रक्रिया

1. मास्टर प्लान तैयार करने के लिए नियुक्त अधिकारी या प्राधिकारी शासकीय रूप से कोई मास्टर प्लान तैयार करने से पूर्व मास्टर प्लान का प्रारूप, उसकी एक प्रति निरीक्षण हेतु उपलब्ध कराकर और इस निमित्त बनाये गये नियमों द्वारा विहित प्रारूप में और रीति से एक नोटिस प्रकाशित करके, जिसमें, प्रत्येक व्यक्ति से नोटिस में विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व मास्टर प्लान के प्रारूप के सम्बन्ध में आक्षेप तथा सुझाव आमंत्रित किये जायेगे, प्रकाशित करेगा।
2. ऐसा अधिकारी या प्राधिकारी ऐसे प्रत्येक स्थानीय प्रधिकारी को भी, जिसकी स्थानीय सीमाओं के भीतर मास्टर प्लान से प्रभावित भूमि स्थित है, मास्टर प्लान के सम्बन्ध में अभ्यावेदन करने हेतु उचित अवसर प्रदान करेगा।
3. ऐसे समस्त आक्षेपों, सुझावों तथा अभ्यावेदनों पर जो प्राप्त हुए हों, विचार करने के पश्चात् ऐसा अधिकारी या प्राधिकारी अंतिम रूप में मास्टर प्लान तैयार करेगा।
4. इस निमित्त बनाये गये नियमों द्वारा किसी मास्टर प्लान के प्रारूप तथा उसकी अर्न्तवस्तु के संबंध में तथा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया और मास्टर प्लान तैयार करने से संबंध किसी अन्य विषय के संदर्भ में उपलब्ध किये जा सकेंगे।

6. मास्टर प्लान का सरकार को प्रस्तुत किया जाना

1. प्रत्येक मास्टर प्लान तैयार किये जाने के पश्चात् यथा संभव शीघ्र राज्य सरकार को विहित रीति से अनुमादनार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।
2. राज्य सरकार मास्टर प्लान तैयार करने के लिए नियुक्त अधिकारी या प्राधिकारी को, ऐसी जानकारी जिसकी वह इस धारा के अधीन उसको प्रस्तुत मास्टर प्लान का अनुमोदन करने के प्रयोजनार्थ अपेक्षा करें, प्रस्तुत करने का निर्देश दे सकेगी।

3. राज्य सरकार या तो मास्टर प्लान को उपान्तरणों के बिना या ऐसे उपान्तरणों के साथ जो वह आवश्यक समझे, अनुमोदित कर सकेगी या कोई नया मास्टर प्लान तैयार करने का निर्देश देते हुए उसे अस्वीकार कर सकेगी।

7. मास्टर प्लान के प्रवर्तन की तारीख

राज्य सरकार द्वारा कोई मास्टर प्लान अनुमोदित कर दिये जाने के ठीक पश्चात् राज्य सरकार यह बतलाते हुए कि मास्टर प्लान का अनुमोदन कर दिया गया है तथा उस स्थान का नाम बतलाते हुए जहाँ मास्टर प्लान की प्रति का कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, विहित रीति से एक नोटिस प्रकाशित करेगी तथा मास्टर प्लान पूर्वोक्त नोटिस के सर्वप्रथम प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तन में आवेगा।

THE RAJASTHAN URBAN IMPROVEMENT TRUST (GENERAL)

RULES, 1962

[Notification No. F.4(32) LSG/A/59 dated 2-4-1962, published in the Rajasthan Gazette, Part IV- C, Extra ordinary, dated 8-6-1962 page 118]

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 74 of the Rajasthan Urban Improvement Act, 1959 (Rajasthan Act 35 of 1959), the State Government hereby makes the following Rules, namely :-

RULES

1. Short title and commencement – (1) These rules may be called “The Rajasthan Urban Improvement Trust (General) Rules, 1962”.

(2) These rules shall come into force upon their publication in the official Gazettee.

2. Definitions – In these rules, unless the subject or context otherwise requires :-

(1) “Act” means The Rajasthan Urban Improvement Act, 1959 (Act No. 35 of 1959).

(2) “Trust” means a Trust as constituted under the Act.

(3) “Section” means a section of the Act.

(4) Words and expressions used but not defined shall have the meanings assigned to them in the Act.

3. Manner of publication of Draft Master Plan and the contents there of under section 5(1)

(1). The draft master plan prepared by the officer or the Authority appointed under section 3 of the Rajasthan Urban Improvement Act, 1959 shall be published by him by making a copy thereof available for inspection at the office of the Trust concerned and publishing a notice in the form ‘A’ in the official Gazette and in at least two popular daily newspapers having circulation in the area inviting suggestions and objections from every person with respect of the Draft Master Plan within a period of 30 days from the date of the publication of the said notice.

(2). The notice referred to in sub-rule (1) together with a copy of the Draft Master Plan shall be sent by the officer or the Authority to each of the Local Body operating in the area include in the Master Plan.

(3). The Draft Master Plan shall ordinarily consist of the following maps, plans and documents, namely :-

(a) Town Map showing general layout of the roads and streets in the Towns.

(b) Map showing the generalised existing land use pattern, such as residential, commercial, industrial, public and semi-public uses etc.

(c) Draft Master Plan showing broadly the proposed land use pattern in the Urban area such as residential, commercial industrial public and semi public uses etc.

(d) Written analysis and written statement to support the proposals.

(e) Any other maps, plans or matter which the officer or the Authority deem fit or as the state government may direct the officer or the authority in this regard.

(4). Approval of Master Plan by the State Government under section 6 :-

(1) After considering the objection, suggestions and representations which may be received by the officer or the Authority appointed under section 3 to prepare the master plan, the officer or the authority shall in consultation with the advisory council of constituted under section 3(2) of the Act finalize the master plan and submit the same to the state government for approval.

(2) When the master plan has been approved by the state government it shall publish in the official gazette, a notice in form 'B' stating that the master plan has been approved and a copy thereof would be available in the office of the Trust/Municipality concerned which may be inspected during office hours on any working day.

जोनिंग रेग्युलेशन

1. आवासीय घनत्व

उपयोग क्षेत्र	उपयोग अनुज्ञेय	विशेष आग्रह पर उपयोग अनुज्ञेय	उपयोग निषेध
आवासीय घनत्व आर-1 आर-2	<ol style="list-style-type: none"> 1. अधिवास 2. विद्यालय (उच्च माध्यमिक स्तर तक) 3. बहिरंग चिकित्सालय 4. मनोरंजन आदि के लिए क्लब, पार्क और खेल का मैदान। 5. सामुदायिक सुविधाएं 6. सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्थाएं 7. जन-सुविधाएं। 8. मकान में व्यावसायिक कार्यालय (अधिकृत 5 व्यक्तियों को रोजगार पर रखते हुए स्वयं के सहित) 9. अतिथि गृह लोजिंग हाउसेस (अधिकतम 5 कमरे व 10 बेड) 10. गृह उद्योग (स्व. राजगार अथवा 2 एच.पी. बिजली का उपयोग करते हों) 11. किसी विशेष क्षेत्र में सेक्टर/ एरिया प्लान और विकास योजनाओं के उपयोग में सम्मिलित किये जाने पर। 12. मुख्य उपयोग पर आधारित ष्टब्कम्छ्ज।रुद्ध आंशिक उपयोग, जो मुख्य उपयोग के लिए हानिकारक /बाधा जनक नहीं हो। 	<ol style="list-style-type: none"> 1. दैनिक उपयोग की वस्तुओं हेतु सुविधाजनक शॉपिंग सेंटर। 2. क्षेत्र विकास योजना के तहत लोकल शॉपिंग सेन्टर हेतु। 3. मकान, होटल एवं धर्मशाला। 4. पेट्रोल पम्प/सर्विस स्टेशन। 5. वर्कशॉप सेवाएं (अधिकतम 5 व्यक्ति के लिए रोजगार एवं 5 एच.पी. बिजली से अधिक उपयोग ना हो।) 6. सर्विस इण्डस्ट्रीज अन्य। 7. सर्विस एवं स्टोरेज वार्ड आंशिक मुख्य उपयोग। 8. कॉलेज। 9. हॉस्पिटल। 10. केन्द्र, राज्य एवं नगर पालिका कार्यालय। 11. नर्सिंग होम्स, स्वास्थ्य केन्द्र (अधिकतम 10 बेड के साथ वेस्ट हिस्पोजल की व्यवस्था होने पर) 12. सार्वजनिक वाचनालय एवं आर्ट गैलरी। 13. धार्मिक स्थान। 14. नसरीज 15. तांगा, ऑटो रिक्शा एवं टैक्सी स्टेण्ड 	अन्य सभी प्रकार के उपयोग विशेष रूप से निषेध होंगे।

2. व्यावसायिक

उपयोग क्षेत्र	उपयोग अनुज्ञेय	विशेष आग्रह पर उपयोग अनुज्ञेय	उपयोग निषेध
खुदरा व्यापार और सामान्य वाणिज्यिक सी-1	<ol style="list-style-type: none"> 1. खुदरा दुकानें। 2. होटल। 3. रेस्टोरेंट एवं भोजनालय। 4. सिनेमा। 5. व्यापार एवं व्यावसायिक कार्यालय 6. रिपेयरिंग की दुकानें (जैसे गैस चूल्हा, साईकिल) 7. उपरी मंजिल आवास। 8. खुदरा व्यापार हेतु उपरी भंडारण स्थल। 9. पेट्रोल फिलिंग/सर्विस स्टेशन और सर्विस गैरेज। 10. कचना दुकान/कबाड़ी बाजार। 11. सर्विस शॉप एवं वर्कशॉप (अधिकतम 5 एच.पी. बिजली का उपभाग एवं 10 से ज्यादा कर्मचारी कार्यरत न हो) 12. सर्विस इण्डस्ट्रीज। 13. मनोरंजन सुविधाएं। 14. सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक कार्यालय 15. सामुदायिक सुविधाएं एवं उपयोगी सेवाएं 16. दवाखाना, स्वास्थ्य संस्थान एवं नर्सिंग होम। 17. सामाजिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक संस्थान 18. तांगा, ऑटो रिक्शा एवं टैक्सी स्टेण्ड 	<ol style="list-style-type: none"> 1. स्टोरेज एवं भण्डारण। 2. वैकल्पिक प्रशिक्षण संस्थान। 3. बोर्डिंग हाउस और छात्रावास जो कि शिक्षण संस्थान से ना जुड़ा हो। 4. बस स्टेण्ड। 5. विशेष बाजार हल्के पदार्थ थोक व्यापार जैसे ग्लासवेयर आदि। 6. लघु उद्योग/गृह उद्योग जैसे स्कूटर, कूलर एवं रेफ्रिजरेटर आदि। 	अन्य सभी प्रकार के उपयोग विशेष रूप से निषेध होंगे।
थोक व्यापार सी-2	<ol style="list-style-type: none"> 1. थोक व्यापार और यार्ड। 2. आंशिक दुकान। 3. रेग्यूलैटर मार्केट वार्ड। 4. स्टोरेज एवं भण्डारण। 5. मॉस, मछली, सब्जी एवं फ्रूट मार्केट। 6. उपरी मंजिल पर अवास। 7. रेस्टोरेंट एवं भोजनालय आवास। 8. व्यापार स्थल। 9. पेट्रोल फिलिंग/सर्विस स्टेशन और सर्विस गैराज। 10. वर्कशॉप एवं सर्विस इण्डस्ट्रीज 11. व्यावसायिक सुविधा एवं उपयोगिता। 12. तांगा रिक्शा, ऑटो रिक्शा एवं टैक्सी स्टेण्ड। 	<ol style="list-style-type: none"> 1. सिनेमा 2. होटल 3. सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक मनोरंजन सुविधाएं। 4. सामाजिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक संस्थान एवं स्मारक। 5. बस स्टेण्ड। 6. ट्रक स्टेण्ड। 7. लघु उद्योग/गृह उद्योग। 	<ol style="list-style-type: none"> 1. पेट्रोलियम एवं अज्जवलनशील वस्तु के भण्डारण हेतु। 2. ऐसी वस्तु जिसके उत्पादन से धूल, गंध अथवा रंग उत्पन्न होता है। 3. अन्य सभी प्रकार के उपयोग यहां विशेष रूप से निषेध होंगे।

उपयोग क्षेत्र	उपयोग अनुज्ञेय	विशेष आग्रह पर उपयोग अनुज्ञेय	उपयोग निषेध
भण्डारण एवं गोदाम सी-3	<ol style="list-style-type: none"> 1. भण्डारण, स्टोरेज एवं डिपो केवल अज्ज्वलनशील वस्तु हेतु। 2. पेट्रोल फिलिंग/सर्विस स्टेशन और सर्विस गैराज। 3. मुख्य उपयोग पर आधारित अज्ज्वलनशील आंशिक उपयोग, जो मुख्य उपयोग के लिए हानिकारक/बाधा जनक नहीं हो। 	<ol style="list-style-type: none"> 1. भण्डारण, स्टोरेज एवं डिपो केवल अज्ज्वलनशील एवं ना खराब होने वाली अनुज्ञेय योग्य वस्तुएं। 2. आंशिक कार्यालय, खुदरा दुकान एवं रेस्टोरेन्ट। 3. ट्रक स्टेण्ड। 4. लघु उद्योग। 	अन्य सभी प्रकार के उपयोग विशेष रूप से निषेध होंगे।
सामुदायिक केन्द्र सी-4	<ol style="list-style-type: none"> 1. सभी व्यवसायिक क्षेत्र सी-1, सी-2 में वर्णित उपयोग 	<ol style="list-style-type: none"> 1. सभी उपयोग अनुज्ञेय योग्य सी-1 में वर्णित 	उपरोक्त

2. औद्योगिक

उपयोग क्षेत्र	उपयोग अनुज्ञेय	विशेष आग्रह पर उपयोग अनुज्ञेय	उपयोग निषेध
लघु उद्योग एवं गृह उद्योग आई-1	<ol style="list-style-type: none"> 1. लघु उद्योग एवं गृह उद्योग, ऐसे उद्योग जो हानिकारक एवं खतरनाक न हो। 2. सर्विस इण्डस्ट्रीज एवं वर्कशॉप 3. वेयर हाउस, भण्डारण एवं गोदाम। 4. कूड़ा-करकट हेतु प्रस्तावित भू-क्षेत्र। 5. जनोपयोगी सुविधायें एवं इमारतें। 6. पब्लिक एवं सेमी पब्लिक कार्यालय। 7. रेलवे। 8. समाज सेवा केन्द्र/केन्टिन/ अन्य ऐमिनिटिक मुख्य उपयोग का आंशिक भाग का उपयोग। 	<ol style="list-style-type: none"> 1. कुछ अन्य उद्योग (लघु उद्योग गृह उद्योग) जिसमें 50 से अधिक श्रमिक एवं 50 एच.पी. विद्युत शक्ति से अधिक उपयोग होता हो। 2. स्थानीय स्तर की सुविधायुक्त सार्वजनिक मनोरंजन सुविधायें। 3. सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक मनोरंजन सुविधाएं 4. पेट्रोल पम्प/सर्विस स्टेशन 5. फूड प्रोसेसिंग एवं अन्य उद्योग, अलग क्षेत्र में औद्योगिक जोन्स को सरिसीमा, साफ एवं स्वच्छ स्थल पर 	उपरोक्त
वृहद् उद्योग एवं व्यापक इण्डस्ट्रीज आई-2	<ol style="list-style-type: none"> 1. वे सभी अनुज्ञेय जो आई-1 में वर्णित हैं। 2. वृहद् उद्योग एवं व्यापक इण्डस्ट्रीज। 	<ol style="list-style-type: none"> 1. वृहद् उद्योग एवं व्यापक इण्डस्ट्रीज। 2. ज्वलनशील, हानिकारक उद्योग अलग क्षेत्र में औद्योगिक जोन के अंतर्गत हो। 	उपरोक्त
राजकीय एवं अर्द्धराजकीय कार्यालय जी-1	<ol style="list-style-type: none"> 1. स्थानीय/केन्द्र/राज्य सरकारी कार्यालय। 2. अर्द्ध सरकारी कार्यालय 3. रेडियो, दूरदर्शन शिक्षा 4. मुख्य उपयोग पर आधारित स्वच्छ आंशिक उपयोग, जो मुख्य उपयोग के लिए हानिकारक/बाधा जनक नहीं हो। 	<ol style="list-style-type: none"> 1. बस स्टेण्ड। 2. जनोपयोगी सुविधाएं। 	उपरोक्त

3. आमोद प्रमोद (मनोरंजन)

उपयोग क्षेत्र	उपयोग अनुज्ञेय	विशेष आग्रह पर उपयोग अनुज्ञेय	उपयोग निषेध
पार्क, खुले स्थल एवं अर्द्धसुविधा मनोरंजन पी-1	<ol style="list-style-type: none"> वे सभी जन एवं अर्द्ध जन सुविधाएं जिसमें पार्क, खेल के मैदान वॉटनिकल एवं जूलोजिकल गार्डन सम्मिलित एवं अन्य। स्टेडियम एवं खेल के मैदान। पौधशाला/बागान। मुख्य उपयोग पर आधारित ष्ठकम्पञ्जस्व आंशिक उपयोग, जो मुख्य उपयोग के लिए हानिकारक/बाधा जनक नहीं हो। 	<ol style="list-style-type: none"> बाह्य थियेटर जिसमें सिनेमा दिखाया जाता हो। भोजन करने के स्थल विशेष ग्राउण्ड। स्मारक, इमारतें (यादगार)। जनोपयोगी सुविधाएं। 	उपरोक्त
पर्यटन सुविधाएं/मेल पी-2	<ol style="list-style-type: none"> होटल, होली-डे कॉटेज एवं रेस्ट हाउस तरण ताल, आंतरिक एवं बाह्य खेल एवं आर्ट गैलेरी। पार्क एवं खेल के मैदान। भोजन स्थल, विशेष स्थिति में। कम्पिंग स्थल। अर्द्ध सार्वजनिक मनोरंजन सुविधाएं मुख्य उपयोग पर आधारित ष्ठकम्पञ्जस्व आंशिक उपयोग, जो मुख्य उपयोग के लिए हानिकारक/बाधा जनक नहीं हो। 	<ol style="list-style-type: none"> पेट्रोल पम्प / सर्विस स्टेशन 	उपरोक्त

उपयोग क्षेत्र	उपयोग अनुज्ञेय	विशेष आग्रह पर उपयोग अनुज्ञेय	उपयोग निषेध
अन्य सामुदायिक केन्द्र एफ-4	<ol style="list-style-type: none"> डाकघर एवं टेलीग्राफ कार्यालय। टेलीफोन एक्सचेंज। पुलिस चौकी/पुलिस स्टेशन/पुलिस लाईन्स/आरएसी/बीएसएफ अन्य। रेडियो, वायरलेस एवं टेलीफोन स्टेशन फायर स्टेशन। सामुदायिक हॉल, बारातघर, क्लब अन्य जन एवं अर्द्धजनोपयोगी सुविधाएं पुस्तकालय वार्ड एवं सेक्टर स्तर के कार्यालय मुख्य उपयोग पर आधारित ,फ़बकमछज।स्व्द आंशिक उपयोग, जो मुख्य उपयोग के लिए हानिकारक /बाधा जनक नहीं हो। 	<ol style="list-style-type: none"> पशुचिकित्सालय 	उपरोक्त
शमशान एवं कब्रिस्तान एफ-5	<ol style="list-style-type: none"> शमशान एवं विद्युतशव दाह गृह। कब्रिस्तान के स्थल। शवदाह स्थल। तांगा, ऑटो रिक्शा व टैक्सी स्टेण्ड। मुख्य उपयोग पर आधारित ,फ़बकमछज।स्व्द आंशिक उपयोग, जो मुख्य उपयोग के लिए हानिकारक /बाधा जनक नहीं हो। 	<ol style="list-style-type: none"> ईमारत एवं स्मारक 	उपरोक्त
जनोपयोगी सुविधाएं एफ-6	<ol style="list-style-type: none"> जलदाय विभाग एवं जल सुविधाएं प्लॉट एवं स्वच्छ जल संग्रहण अन्य। विद्युत शक्ति एवं ग्रिड स्टेशन, सब स्टेशन। अन्य जनोपयोगी सुविधाएं। मुख्य उपयोग पर आधारित ,फ़बकमछज।स्व्द आंशिक उपयोग, जो मुख्य उपयोग के लिए हानिकारक /बाधा जनक नहीं हो। 		उपयोग

6. कृषि

उपयोग क्षेत्र	उपयोग अनुज्ञेय	विशेष आग्रह पर उपयोग अनुज्ञेय	उपयोग निषेध
परिधि नियंत्रण पट्टी ए-1	<ol style="list-style-type: none"> 1. कृषि, कृषि अनुसंधान केन्द्र, फॉर्मस। 2. बागवानी। 3. बीज फॉर्मस, घास फॉर्मस। 4. पशु प्रजनन फॉर्मस। 5. पौधाशाला एवं बागान। 6. डेयरी, कुटकुटशाला एवं मछली फॉर्मस। 7. दुग्ध अवशीतन संयंत्र। 8. मुख्य उपयोग पर आधारित ;फरबकमछज।रुद्ध आंशिक उपयोग, जो मुख्य उपयोग के लिए हानिकारक /बाधा जनक नहीं हो। 9. दुग्ध अवशीतन केन्द्र। 10. पेट्रोल फिलिंग/सर्विस स्टेशन। 11. नगर परिषद चुंगीनाका / आवास पशु केन्द्र। 12. ग्रामीण अधिवास का भू-उपयोग का आवश्यक आंशिक भाग का विभाग अगर उसके लिए आवश्यक हो। 13. कोल्ड स्टोरेज जो अपने फॉर्म हाउस हेतु उत्पादन का भंडारण कर सकता हो। 	<ol style="list-style-type: none"> 1. मोटल व कैंपिंग ग्राउण्ड। 2. खुला थियेटर ड्राइव इन थियेटर। 3. सार्वजनिक मनोरंजन। 4. सरकारी आरक्षित। 5. पशु चिकित्सालय। 6. संक्रामक रोग चिकित्सालय। 7. ठोस कचरा निस्तारण ग्राउण्ड सीवरेज फॉर्मस। 8. मृत पशु को इकट्ठा रखने विशिष्ट स्थान। 9. बुचड़खाना। 10. अति ज्वलनशील पदार्थ का डिपो 11. ईट भट्टा, उत्खनन, खानं 12. पत्थर क्रेशर। 13. हानिकारक पदार्थ वाले उद्योग। 14. जन उपयोगिताएं 15. हेलीपेड एवं हवाई अड्डा। 	उपरोक्त

राजस्थान सरकार,
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प.10(211)नविवि/3/09

जयपुर, दिनांक 13.1.2010

अधिसूचना

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 (राजस्थान अधिनियम संख्या 35 सन् 1959) की धारा (3) की उपधारा (1) से अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार वरिष्ठ नगर नियोजक जोधपुर जोन जोधपुर को सांचोर के नगरीय क्षेत्र जिसमें सांचोर एवं निम्नलिखित राजस्व ग्राम सम्मिलित किये जाते हैं, का सिविक सर्वे करने एवं मास्टर प्लान बनाने हेतु नियुक्त करती है ।

क्र.सं.	राजस्व ग्राम का नाम (हिन्दी में)	राजस्व ग्राम का नाम (अंग्रेजी में)
1-	माखुपुरा	MAKHUPURA
2.	डूंगरा का गोलिया	DUNGRAN KA GOLIYA
3-	बी.ढाणी	B.DHANI
4-	सांचोर	SANCHORE
5-	सिद्धेश्वर	SIDESWAR
6.	कमालपुरा	KAMALPURA
7-	जाजूसण	JAJUSAN
8-	लाछड़ी	LACHRI
9-	बड़सम	BADSAM
10-	प्रतापपुरा	PRATAPPURA
11-	गरडाली	GARDALI
12-	गोलासन	GOLASAN
13-	अगार	AGAR
14-	डबाल	DABAL
15-	पहाड़पुरा	PAHARHPURA

राज्यपाल की आज्ञा से,

ह0

शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार

परिषिष्ट-5

कार्यालय वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर जोन, जोधपुर।

कमांक जेडीजेड/1120/सांचौर/एमपी

दिनांक:- 23.06.2010

अधिसूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 की धारा 5 की उपधारा (1) एवं राजस्थान नगर सुधार न्यास (साधारण) नियम, 1962 के नियम 3 के अन्तर्गत सांचौर नगरीय क्षेत्र के मास्टर प्लान-2031 का प्रारूप तैयार कर जनता से आपत्ति एवं सुझाव आमन्त्रित करने हेतु प्रकाशित किया जा रहा है। इस प्रारूप मास्टर प्लान के नगरीय क्षेत्र के अन्तर्गत निम्नलिखित राजस्व ग्राम सम्मिलित है :-

क्रम संख्या	राजस्व ग्राम का नाम (हिन्दी में)	राजस्व ग्राम का नाम (अंग्रेजी में)
1.	माखुपुरा	MAKHUPURA
2.	डूंगरा का गोलिया	DUNGRAN KA GOLIYA
3.	बी0 ढाणी	B. DHANI
4.	सांचौर	SANCHORE
5.	सिद्धेश्वर	SIDESWAR
6.	कमालपुरा	KAMALPURA
7.	जाजूसण	JAJUSAN
8.	लाछड़ी	LACHRI
9.	बडसम	BADSAM
10.	प्रतापपुरा	PRATAP PURA
11.	गरडाली	GARDALI
12.	गोलासन	GOLASAN
13.	अगार	AGAR
14.	डबाल	DABAL
15.	पहाड़पुरा	PAHARH PURA

सांचौर प्रारूप मास्टर प्लान के सम्बन्ध में राजस्थान राजपत्र में प्रकाशन की तिथी से 30 दिवस की समयावधि में कोई भी व्यक्ति वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर जोन, जोधपुर को अपनी आपत्ति एवं सुझाव प्रेषित कर सकता है। आपत्ति एवं सुझाव नगर पालिका, सांचौर अथवा मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर को भी प्रस्तुत किये जा सकते हैं। मास्टर प्लान के प्रारूप को उपरोक्त समयावधि में किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय समय में नगर पालिका, सांचौर के सभागार में देखा जा सकता है। मास्टर प्लान के इस प्रारूप से सम्बन्धित पुस्तिका एवं मानचित्र कार्यालय, नगर पालिका, सांचौर से क्य किये जा सकते हैं।



(आर. एल. टुकलिया)
वरिष्ठ नगर नियोजक,
जोधपुर जोन, जोधपुर।

क्रमांक : प.10(21):नविवि / 3 / 2009

जयपुर, दिनांक : 27.02.2012

अधिसूचना

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 के अधीन बनाये गये राजस्थान नगर सुधार (सामान्य) नियम, 1962 के नियम 4 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 7 के अनुसरण के तहत यह नोटिस दिया जाता है कि राज्य सरकार ने इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 13.01.2010 द्वारा यथा अधिसूचित "सांचोर (जिला-जालोर) के नगरीय क्षेत्र" के लिए तैयार किये गये मास्टर प्लान-2031 का अनुमोदन कर दिया है।


उक्त मास्टर प्लान की प्रति का अवलोकन नगर पालिका, सांचोर के कार्यालय में किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय समय में किया जा सकता है।

राज्यपाल की आज्ञा से

(प्रकाश चन्द्र शर्मा)
शासन उप सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को मय सी.डी. भेजकर लेख है कि अधिसूचना का प्रकाशन राजपत्र के असाधारण अंक में करवाकर एक प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करे।
2. प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (पश्चिम), राजस्थान, जयपुर।
5. वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर ज़ोन, जोधपुर।
6. जिला कलेक्टर, जालोर।
7. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, सांचोर, जिला-जालोर।
8. रक्षित पत्रावली।


(प्रदीप कपूर)
उप नगर नियोजक